बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

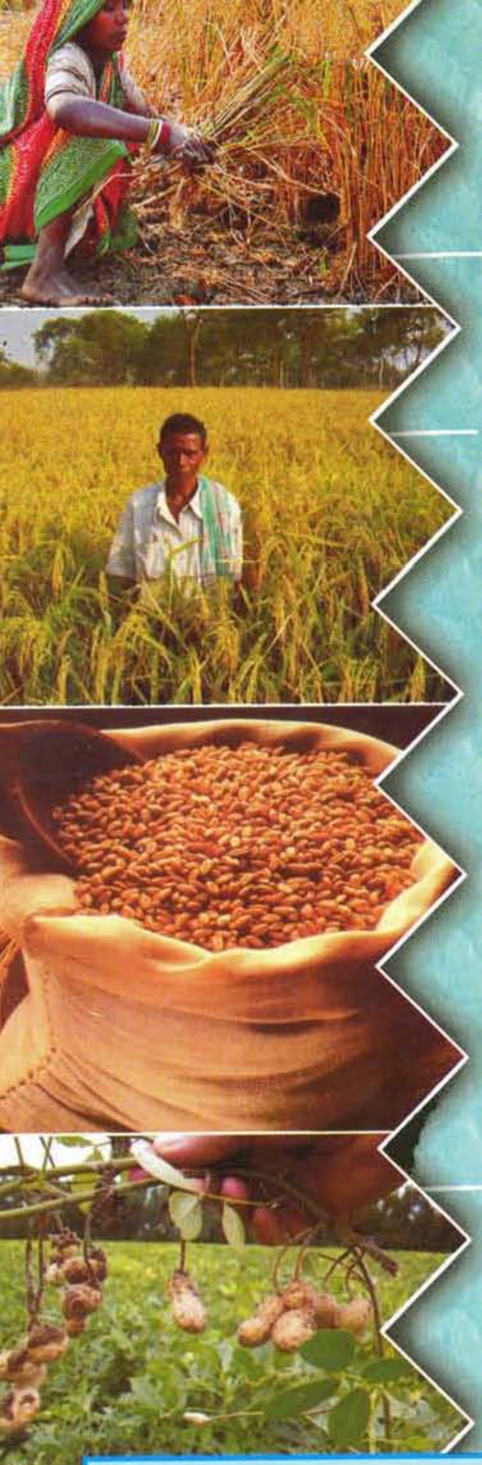

गाँव–घर, खेत–खलिहान का समग्र विकास, सहकारिता के साथ

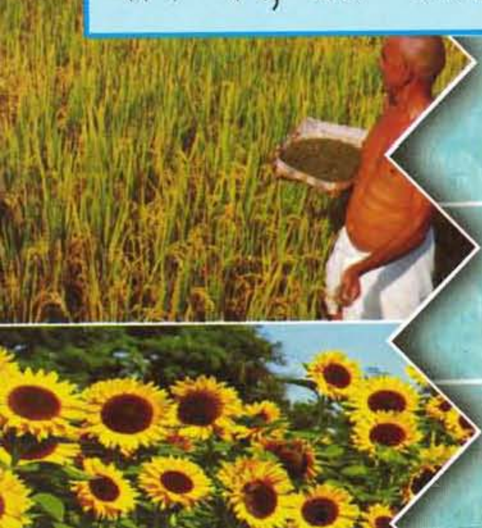

वार्षिक प्रतिवेदन
2011-12

2012 International Year of Cooperatives

रामाधार सिंह

मंत्री, सहकारिता विभाग

बिहार सरकार, पटना

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 को बेहतर ढंग से मनाने तथा घर-घर से सहकारिता का प्रचार-प्रसार कर बेहतर बिहार बनाने में सहयोग करें ।

रामाधार सिंह

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

गाँव–घर, खेत–खलिहान का समग्र विकास, सहकारिता के साथ

वार्षिक प्रतिवेदन

2011–12

मानननीय मंत्री सहकारिता

संदेश

सहकारिता विभाग का वर्ष 2011–12 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

सहकारिता के माध्यम से राज्य के कृषि उत्पादन को लाभप्रद बनाने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सहकारी संस्थाओं में पूर्ण प्रजातांत्रिक पद्धति लागू कर आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु किए गए प्रयासों की सफलता परिलक्षित हो रही है।

न्याय के साथ विकास के संकल्प के निमित्त राज्य में गठित 8463 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्सों) का सुदृढ़ीकरण कर इसे ग्रामीण विकास केन्द्र के वैकल्पिक अभिकरण के रूप में सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली द्वारा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु पैक्सों का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पैक्सों में गोदाम बनाये जा रहे हैं। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पैक्सों में भी कृषकों को उच्च गुणवत्ता के उर्वरक, कींटनाशक, बीज इत्यादि एक ही जगह पर उपलब्ध हो। इफको एवं कृभको द्वारा आपूर्ति किए जा रहे खाद का आवंटन केवल पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से ही करने का निर्णय लिया गया है ताकि कृषकों को उचित मूल्य एवं निर्धारित समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके। कृषकों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति के कार्य में केवल पैक्सों को जोड़कर इसे किसानों की हितकारी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित संस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पैक्सों के साथ–साथ इनकी केन्द्रीय समितियाँ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं शीर्ष संस्था बिहार राज्य सहकारी बैंक को बैद्यनाथन समिति की अनुशंसाओं के अनुरुप, सुदृढ़ किया जा रहा है। इस त्रिस्तरीय सहकारी प्रणाली के सहयोग से अल्पकालीन ऋण वितरण, अधिप्राप्ति, जमा वृद्धि योजना, खाद व्यवसाय आदि किये जा रहे है।

सहकारी क्षेत्र में आधारभूत संसाधनों के विकास हेतु समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिस्कोमान का पुनर्जीवन पैकेज, पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना आदि ठोस प्रगतिमूलक कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2012 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। इसके तहत राज्य के कृषकों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने की योजना है। जिससे किसान पूरे वर्ष सहकारिता आन्दोलन से जुड़े रहेंगे।

मुझे आशा है सहकारिता बिहार के विकास का एक नया आयाम बनेगा।

जय किसान। जय जवान। जय विज्ञान। जय सहकारिता।

जय हिन्द

(रामाधार सिंह)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**प्रस्तावना**	1-3
2	**महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ**	4-6
3	**योजनाएँ एवं उपलब्धियाँ**	
	i. समेकित सहकारी विकास परियोजना	7-9
	II. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	9-12
	iii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	12-13
	iv. अधिप्राप्ति	13-14
	v. वार्षिक योजना	15
4	**सहकारी कृषि साख एवं उपलब्धियाँ**	
	I. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ांचा)	16-17
	i) राज्य सहकारी बैंक	17-18
	ii) केन्द्रीय सहकारी बैंक	18-19
	iii) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स)	19
	II. प्रोफेसर बैद्यनाथन कमिटि की अनुसंशाओं पर आधारित पुनरोद्धार योजना	20-21
5	**सुशासन के कार्यक्रम**	22-23
6	**सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण**	24-25
7	**महत्वपूर्ण सहकारी शीर्ष संस्थान**	
	i. बिहार राज्य सहकारी क्रय–बिक्रय संघ लि॰ (बिस्कोमान)	26
	ii. बिहार राज्य हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि॰	26-27
	iii. बिहार राज्य सहकारी संघ लि	27-28
	iv. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार	28
	v. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	28
	vi. व्यापार मंडल	28-29
8	**बिहार राज्य भंडार निगम**	30-31
परिशिष्ट– i	विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ	32
परिशिष्ट– ii	राज्य में निबंधित सहकारी समिति की संख्या	33
परिशिष्ट– iii	विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना	34
परिशिष्ट– iv	सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय	35-36

1. प्रस्तावना

सहकारिता विभाग का वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन आपके समक्ष है। बिहार के बढ़ते कदम की विकास यात्रा में बिहार सरकार का सहकारिता विभाग कदम–से–कदम मिलाते हुए उन नयी उंचाईयाँ को छूने को उत्साहित है जिससे बिहार का नव निर्माण हो रहा है। वर्त्तमान के सामाजिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिवेश में सहकारिता को प्रासंगिक एवं सबल बनाने हेतु सरकार सदैव प्रत्यनशील है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का सबल आधार ग्रामीण क्षेत्र ही है तथा इसकी उपेक्षा कर एक सशक्त भारत के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहकारिता की अहम भूमिका है तथा इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा बदले हुए माहौल में सहकारी नीतियों में आमूल परिवर्त्तन लाया गया है। सहकारिता को और अधिक प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से अनेक संस्थागत सुधार किये गए हैं तथा सहकारी समितियों के कार्यकलापों को पारदर्शी बनाने हेतु बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम में भी व्यापक संशोधन किये गए हैं। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रांति के इस युग में भी कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राण है। कृषि और सहकारिता में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। विशेषकर झारखंड विभाजन के बाद बिहार के विकास का एक मात्र सबल आधार कृषि है और कृषि सहकारिता से अनुप्राणित होती है। सहकारिता विभाग बिहार के किसानो के हित में राज्य सरकार के कृषि रोड मैप का हमसफर बनकर कृषि विकास के लिए तत्पर है। बिहार की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित करने के लिए विगत वर्षों में जिन कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गयी है, वे निम्नवत् हैं :–

- प्रोफेसर बैद्यनाथन कमिटि की अनुशंसाओं एवं वैश्विक उदारीकरण द्वारा बदले हुए परिवेश में सहकारी नीतियों में आमूल चूल परिवर्त्तन।
- सहकारी संस्थाओं को अधिक मुखर एवं क्रियाशील बनाने हेतु सहकारी अधिनियम में समीचीन संशोधन।
- पैक्सों में व्यापक जनाधार वाली जनतांत्रिक संस्था के रूप में विकसित करने हेतु सदस्यता वृद्धि अभियान। वर्ष 2011–12 तक लगभग एक करोड़ सदस्य।
- सदस्यता वृद्धि अभियान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उनके सदस्यता शुल्क एवं एक हिस्सा पूंजी का भुगतान। इस वर्ग के 4505262 सदस्यों को उनके एक हिस्सा पूंजी एवं सदस्यता शुल्क मद में कुल 495.61 लाख रूपये का भुगतान।
- राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने हेतु रब्बी विपणन मौसम 2011–12 में 3.58 लाख मे॰टन गेंहू की अधिप्राप्ति तथा खरीफ विपणन मौसम 2011–12 में पैक्सों द्वारा 18 लाख मे॰टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 21/02/12 तक 8.17 लाख मे॰टन की अधिप्राप्ति।
- अल्पकालीन कृषि साख संस्थाओं को पुनरोद्धार योजना के तहत् प्रथम चरण में पैक्सों हेतु स्वीकृत 442.16 करोड़ के पैकेज में राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की पुनरीक्षित आकलित राशि 27.46 करोड़ स्वीकृत।

इसमें से अभी तक केन्द्रांश 265.06 करोड तथा राज्यांश पुनरीक्षण के पूर्व 29.73 करोड विमुक्त किया जा चुका है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु स्वीकृत पैकेज 360.80 करोड़ रूपये में से राज्यांश की अनुमोदित राशि 18.24 करोड़ रूपये में से 15.47 करोड़ विमुक्त।

- राज्य में किसानों के फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत् रब्बी 2010–11 मौसम में 401 कृषकों को 14.62 लाख रूपये का क्षतिपूर्ति भुगतान एवं खरीफ 2011 मौसम में 331145 कृषकों का 83500.16 लाख रूपये का फसल बीमित।
  पायलट मौसम आधारित फसल बीमा के तहत् रब्बी 2010–11 मौसम में 1264084 कृषकों का 3024.67 करोड़ रूपये एवं खरीफ 2011 मौसम में 450945 कृषकों का 1068.75 करोड़ रूपये का फसल बीमित।
- भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् वर्ष 2010–11 में 100 पैक्सों में एवं 10 व्यापार मंडलों में 200 मे॰टन एवं 10 पैक्सों में 100 मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु 543.19 लाख रूपये विमुक्त। वर्ष 2011–12 में 500 पैक्सों में 200 मे॰टन क्षमता (प्रति पैक्स) का गोदाम निर्माण हेतु 5000.00 लाख रूपये प्रावधानित जिसमें से 131 पैक्सों का चयन कर 1310.00 लाख रूपये विमुक्त।
- ग्रामीण विद्युतीकरण में पैक्सों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कुटीर उद्योगों के उर्जा सम्बन्धी समस्या को दूर करने हेतु बायोमास गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित किया जा रहा है। अभी तक 40 मे से 33 पैक्सों में बायोमास गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित किये जा चुके हैं। 58 नये पैक्सों में उसे स्थापित करने हेतु वर्ष 2010–11 में 804.00 लाख रूपये स्वीकृत तथा 2011–12 में 100 पैक्सों में 1500.00 लाख रूपये की लागत से स्थापित करने की योजना।
- समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत पैक्सों/व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण द्वारा भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि की जा रही है। अभी तक 741 पैक्सों में 100 मे॰टन प्रति पैक्स की दर से गोदाम निर्माण किया गया है। 41 व्यापार मंडलों में गोदाम का निर्माण एवं 33 व्यापार मंडलों में गोदाम की मरम्मति की गई है। राज्य के सात जिलों में यह परियोजना कार्यान्वित किया जा चुका है। पाँच नये जिले कैमूर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली एवं नालन्दा में यह परियोजना प्रारम्भ की गयी है। जहानाबाद, अररिया एवं मोतिहारी जिले का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एन॰सी॰डी॰सी॰ से स्वीकृति सात जिले यथा लक्खीसराय, जमुई, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्णियाँ, अरवल एवं बेतिया में इस योजना को प्रारम्भ करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेंदन तैयार करने के निमित्त सलाहकार संस्था चयनित है तथा परियोजना की तैयारी अन्तिम चरण में है। राज्य के 10 जिले यथा पटना, नवादा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बाँका, भागलपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर में यह परियोजना की स्वीकृति एन॰सी॰डी॰सी॰ से प्राप्त हो गई है। सलाहकार संस्था का प्रक्रिया प्रांरम्भ है। राज्य के शेंष जिलों को इस योजना से आच्छादित करने हेतु वांछित प्रतिवेदन एन॰सी॰डी॰सी॰ को भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2012 को अंर्तराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने के निर्णय के आलोक में इस राज्य में भी अंर्तराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने के निमित्त एक उच्च स्तरीय समिति श्री सी॰के॰अनिल, प्रशासक, बिहार राज्य हाऊसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित मुख्य कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है :–

    (i) विशेष सदस्यता अभियान : वैसे सभी कृषक जो कृषि विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में व्यक्तिगत अनुदान प्राप्त किये हैं उन्हें पैक्स का सदस्य बनाया जाय। इसमें अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को विशेष रुप से प्राथमिकता दी जाय। इस निमित्त सहकारिता जागरुकता रथ सभी जिलों में जन आन्दोलन तैयार करेगी।

    (ii) सम्मेलन : इसके अन्तर्गत चार राष्ट्रीय स्तर की सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत महिला सहकारी पार्लियामेन्ट, अर्न्तराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, बुनकर सहयोग समितियों का सम्मेलन एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का सम्मेलन बुलाया जायगा।

    (iii) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण : इस वर्ष अधिक से अधिक पैक्स सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कैम्प लगा कर किया जाएगा। इस क्रम में यह योजना है कि नालन्दा, औरंगाबाद एवं रोहतास जिलों में शत् प्रतिशत कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जाय।

- इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया है कि नालन्दा एवं पटना में महिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। इस अंर्तराष्ट्रीय वर्ष में बुद्ध मार्ग, पटना में अवस्थित बिहार राज्य सहकारी संघ के भवन का पुर्नजीर्णोद्धार करते हुए पाँच मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम "लोक नायक सहकार आन्दोलन भवन" रखा जाएगा। इसी प्रकार पैक्स में निर्मित गोदाम का नाम "जे॰पी॰ सहकार भवन" रखा जाएगा। दिल्ली हाट के तर्ज पर पटना में सहकारी हाट की स्थापना की जायेगी।

- सहकारी बैंको का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस कड़ी में सर्व प्रथम बिहार राज्य सहकारी बैंक एवं पाटलीपुत्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग से जोड़ा जा रहा है।

- वर्ष 2012 में विभाग के कार्य प्रणाली को सुदृढ़ की जाएगी ताकि राज्य के कृषकों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को इसका पूर्ण लाभ मिल सके।

उक्त प्रस्तावना के अधीन सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में विभिन्न सहकारी संस्थाओं/योजनाओं के माध्यम से हासिल की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत है। इसकी रचनात्मक समीक्षा एवं बहुमूल्य सुझाव के लिए सहकारिता विभाग आभारी होगा।

2. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

क्र॰ सं॰	योजना	लाभान्वितों की संख्या	उपलब्धि
1.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना		
	(क) खरीफ 2010 मौसम	8,84,439 कृषक	20545188 लाख रू॰ का फसल बीमित
	(ख) रब्बी 2009–10	1,53,703, कृषक	24626.22 लाख रू॰ का क्षतिपूर्ति भुगतान
	(ग) खरीफ 2011	3,31,145 कृषक	83500.16 लाख रू॰ का फसल बीमित
	(घ) रब्बी 2010–11	401 कृषक	14.62 लाख रू॰ का क्षतिपूर्ति भुगतान
2.	पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना		
	(क) रब्बी 2010–11 मौसम	1264084 कृषक	3024.67 करोड़ रू॰ का फसल बीमित
	(ख) खरीफ 2011 मौसम	450945 कृषक	1068.75 करोड़ रू॰ का फसल बीमित
3.	मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना		मुंगेर, जमुई एवं शिवहर जिले में लागू।
4.	अधिप्राप्ति		
	(क) रब्बी 2011–12 में गेहू की अधिप्राप्ति		5.50 लाख मे॰टन लक्ष्य के विरूद्ध 3.58 लाख मे॰टन गेहूं की अधिप्राप्ति।
	(ख) खरीफ 2011–12 में धान की अधिप्राप्ति		18 लाख मे॰टन लक्ष्य के विरूद्ध 8.17 लाख मे॰टन धान की अधिप्राप्ति। (21-02-12 तक)
	(ग) अधिप्राप्ति हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता		400.00 करोड़ रूपये।
5.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		
	(क) वर्ष 2008–09 में गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना	40 पैक्स	480.00 लाख रू॰ विमुक्त। 33 पैक्सों में स्थापित।
	(ख) 2010–11 में पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना	58 पैक्स	804.00 लाख रू॰स्वीकृत।
	(ग) 2011–12 में पैक्सो में गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना	100 पैक्स	1500.00 लाख रू॰ प्रस्तावित।
	(घ) 2010–11 पैक्सो / व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण	100 पैक्स 10 व्यापार मंडल	543.19 लाख रू॰ स्वीकृत।
	(ङ) 2010–11 बिस्कोमान की गोदामों की मरम्मती	98 गोदाम	149.00 लाख रू॰ स्वीकृत।
	(च) 2011–12 पैक्सों में गोदाम निर्माण	500 पैक्स 131 पैक्स चयनित	5000.00 लाख रू॰ प्रस्तावित। 1310.00 लाख रू॰ की निकासी।
	(छ) 2011–12 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण	7 जिला यथा नालन्दा, भागलपुर, वैशाली, कटिहार, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर	1750.00 लाख रू॰ प्रस्तावित।
6.	बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा गोदाम निर्माण		40000 मे॰टन।
7.	पैक्सों में जमा वृद्धि 2011–12	1949 पैक्स	17431.35 लाख रू॰ जमा।
8.	पैक्सों में खाद व्यवसाय 2011–12	4685 पैक्स	53195.36 लाख रू॰ का व्यवसाय।
9.	पैक्सों में जन–वितरण प्रणाली	5703 पैक्सों को अनुज्ञप्ति प्राप्त	
10.	अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण		

	(क) 2011-12 खरीफ मौसम	120124 सदस्य	23106.39 लाख रू॰
	(ख) 2011-12 रब्बी मौसम	39733 सदस्य	7978.18 लाख रू॰
11.	व्यापार मंडलों का पुनर्गठन	130 नये प्रखंड में पूर्ण	13 प्रखंडों में व्यापार मंडलों का गठन कोरम के अभाव मे नहीं हो सका।
12.	मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का पुनर्गठन	379 प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित	
	पुनर्गठित पैक्सों में सदस्यों की संख्या	लगभग 1 करोड़	
13.	(क) कमजोर वर्गों के सदस्यों जिन्हें सरकार द्वारा एक हिस्सा पूंजी एवं सदस्यता शुल्क भुगतान किया गया	45.05 लाख सदस्य	495.61 लाख रू॰ का भुगतान।
14.	किसान क्रेडिट कार्ड	914793	121212.73 लाख रू॰ स्वीकृत।
15.	समेकित सहकारी विकास परियोजना		
	(क) कार्यान्वित जिले (गोपालगंज, गया, मधुबनी, आरा, छपरा, सिवान एवं सीतामढ़ी)	7 जिले	7815.90 लाख रू॰
	(ख) नई स्वीकृत एवं कार्यान्वित जिले (कैमूर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली एवं नालन्दा)	5 जिले	11423.17 लाख रू॰
	(ग) एन॰सी॰डी॰सी॰ से परियोजना लागू करने हेतु स्वीकृत जिले (जहानाबाद, अररिया एवं मोतिहारी)	3 जिले	
	(घ) एन॰सी॰डी॰सी॰ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु स्वीकृत एवं सलाहकार संस्था चयनित जिला (लक्खीसराय, जमुई, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्णियाँ, अरवल एवं बेतिया)	7 जिले	
	(च) एन॰सी॰डी॰सी॰ द्वारा परियोजना लागू करने हेतु स्वीकृत जिला जहाँ सलाहकार संस्था चयन की प्रक्रिया चल रही है (पटना, नवादा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बाँका, भागलपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर)	10 जिले	
	(छ) परियोजना अन्तर्गत अच्छादित करने हेतु एन॰सी॰डी॰सी॰ को वांछित प्रतिवेदन भेजे जाने वाले जिला (किशनगंज, मधेपुरा, समस्तीपुर एवं शेखपुरा)	4 जिले	
16.	समेकित सहकारी विकास परियोजना में भोतिक उपलब्धि		
	(क) पैक्सों में गोदाम निर्माण	741	
	(ख) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण	41	

	(ग) व्यापार मंडलों में गोदाम मरम्मती	33	
	(घ) परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षित सहकारी कर्मी (i) कार्यान्वित किए गए जिलों में (ii) कार्यान्वित की जा रही जिलों में	 139399 213	
17.	आई॰सी॰डी॰पी॰ परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक उपलब्धि : (i) कार्यान्वित किए गए जिलों में (ii) कार्यान्वित की जा रही जिलों में	 2979.20 309.13	
18.	प्रो॰ बैद्यनाथन कमिटि के अनुशंसा पर आधारित पुनरोद्धार योजना		
	I (क) कुल पैक्सों की संख्या	8463	
	(ख) योजना से आच्छादित पैक्सों की संख्या	8448	
	(ग) पैक्सों के लिए कुल स्वीकृत पुनरोद्धार पैकेज	442.16 करोड़	
	i. स्वीकृत पैकेज में भारत सरकार की हिस्सेदारी	322.88 करोड़	भारत सरकार द्वारा 265.05 करोड़ रू॰ की राशि विमुक्त।
	ii. स्वीकृत पैकेज में बिहार सरकार की हिस्सेदारी	27.46 करोड़	राज्य सरकार द्वारा 27.46 करोड़ रू॰ की राशि विमुक्त।
	iii. स्वीकृत पैकेज में से पैक्सों की हिस्सेदारी	91.82 करोड़	
	II (क) केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या	22	
	(ख) योजना से आच्छादित केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या	22	
	(ग) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए स्वीकृत पुनरोद्धार पैकेज	360.79 करोड़	
	i. स्वीकृत पैकेज में से भारत सरकार का हिस्सेदारी	272.82 करोड़	भारत सरकार की हिस्सेदारी अपेक्षित।
	ii. स्वीकृत पैकेज में से बिहार सरकार की हिस्सेदारी	18.24 करोड़	राज्य सरकार द्वारा 15.48 करोड़ रू॰ की राशि विमुक्त।
	iii. स्वीकृत पैकेज में से बैंको की हिस्सेदारी	69.73 करोड़	
	III पुनरोद्धार योजना के तहत पैक्स के निदेशक पर्षद/प्रबंधक को प्रशिक्षण	15299 निदेशक पर्षद के सदस्य 4964 पैक्स प्रबंधक	
	VI राज्य सहकारी बैंक के लिए स्वीकृत पुनरोद्धार पैकेज	40.62 करोड़	
	i. स्वीकृत पैकेज में भारत सरकार की हिस्सेदारी	38.86 करोड़	
	ii. स्वीकृत पैकेज में बिहार सरकार की हिस्सेदारी	0.68 करोड़	
	iii. राज्य सहकारी बैंक की हिस्सेदारी	1.08 करोड़	

3. योजनायें एवं उपलब्धियाँ

(i) समेकित सहकारी विकास परियोजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता के माध्यम से विकसित करने के उद्देश्य से यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से राज्य के सात जिलों यथा गोपालगंज, मधुबनी, गया, सीतामढ़ी, आरा, छपरा एवं सिवान में क्रमशः 1139.12 लाख, 1204.92 लाख, 1136.41 लाख, 995.48 लाख, 1113.23 लाख, 1112.52 लाख एवं 1144.22 लाख रू० की लागत से कार्यान्वित की जा चुकी है। पाँच जिलों यथा कैमूर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली एवं नालन्दा में क्रमशः 1128.60 लाख, 1591.85 लाख, 1185.35 लाख, 4256. 75 लाख एवं 3321.22 लाख रू० की लागत की योजना स्वीकृत करते हुए कार्यान्वित की जा रही है। जहानाबाद, अररिया एवं मोतिहारी जिलों में परियोजना की स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त हो गया है तथा लक्खीसराय, जमुई, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्णियाँ, अरबल एवं बेतिया जिले में लागू करने हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त है। पटना, नवादा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बाँका, भागलपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर जिले में इस योजना को लागू करने की स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त हो गयी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के सभी जिले में इस योजना लागू करने का कार्यक्रम है।

इस परियोजना के तहत् राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण प्राप्त कर पैक्सों को ऋण, हिस्सा पूंजी एवं अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। परियोजना के उद्देश्यों में कृषि कार्यों के विकास के लिए पैक्सों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त रोजगारोंन्मुखी कार्यक्रमों यथा मत्स्यपालन, दुग्ध विकास कार्यक्रम, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन के विकास, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना एवं समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विकास तथा पणन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन कार्यों के लिए आधारभूत संरचना के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के साथ–साथ समितियों में व्यवसाय विकास के लिए मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

परियोजना में मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। समितियों के प्रबंधकों, निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विकास, वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान हो, जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में मिले। परियोजना की प्रगति निम्नवत है –

परियोजना लागत एवं व्यय

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला का नाम	ऋण	हिस्सा पूंजी	अनुदान	कुलयोग	कुल व्यय (दिसम्बर, 11)
1	2	3	4	5	6	7
1	गोपालगंज	295.62	631.62	292.00	1219.24	1153.91
2	मधुबनी	287.65	704.47	212.80	1204.92	1164.74
3	गया	313.34	607.68	215.39	1136.41	1059.18
4	सीतामढ़ी	299.15	517.70	218.63	1035.48	1019.67
5	आरा	304.68	645.95	162.60	1113.23	1080.76
6	छपरा	280.60	673.50	205.62	1159.72	1035.36
7	सिवान	296.57	683.08	164.57	1144.22	1090.67
कुलयोग		2077.61	4464.00	1471.61	8013.22	7604.29

गोदाम निर्माण

क्र० सं०	जिला का नाम	पैक्स का गोदाम निर्माण		व्यापार मंडल का गोदाम निर्माण / मारम्मती	
		गोदाम निर्माण का लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि (दिसम्बर, 11)	गोदाम निर्माण / मरम्मती का लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि (दिसम्बर, 11)
1	2	3	4	5	6
1	गोपालगंज	130	130	9	9
2	मधुबनी	105	105	12	12
3	गया	118	114	12	9
4	सीतामढ़ी	100	91	12	10
5	आरा	105	104	16	14
6	छपरा	104	99	14	10
7	सिवान	100	98	15	10
कुलयोग		762	741	90	74

व्यवसाय विकास

(राशि लाख रू० में)

क्र सं०	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 2011–12 (दिसम्बर, 2011 तक)	
		कार्यान्वित की गई जिलों में	कार्यान्वित की जा रही जिलों में
1	2	3	
1	कृषि (खाद एवं बीज व्यवसाय)	970.39	114.66
2	बंधक व्यवसाय	1.65	–
3	सीधी खरीद	151.15	–
4	उपभोक्ता व्यवसाय	308.83	115.28
5	जमा वृद्धि	1005.38	24.19
6	उपभोक्ता ऋण	129.15	55.00
7	अन्य	362.65	–
कुल व्यवसाय		2979.20	309.13

प्रशिक्षण कार्य

क्र॰ सं॰	प्रशिक्षण	वर्ष 2011–12 (दिसम्बर, 2011 तक)	
		कार्यान्वित की गई जिलों में	कार्यान्वित की जा रही जिलों में
1	2	3	
1	प्रबंधक	600	40
2	अध्यक्ष	521	75
3	कार्यकारिणी सदस्य	17311	98
4	सामान्य सदस्य	120522	0
5	सेल्स मैंन/गोदामपाल	445	0
	कुल	**139399**	**213**

(ii) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)

प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़ एवं तुषारापात से फसलों को क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल लगाने के निमित्त कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रील,2000 से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्य में लागू है। योजनान्तर्गत कृषकों द्वारा उपजायी जाने वाली फसलों के प्राकृतिक आपदाओ से क्षति होने के फलस्वरूप बीमित राशि के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

योजना की मुख्य विशेषतायें :

- वाणिज्यिक, ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों से अल्पकालीन कृषि ऋण लेने वाले सभी कृषकों के लिए यह योजना अनिवार्य है।
- गैर ऋणी कृषकों के लिए स्वेच्छिक भागीदारी की व्यवस्था है।
- सामान्यतः दलहन, तेलहन, नगदी फसल सहित सभी प्रकार के फसलों का बीमा
- कृषकों के समक्ष बीमित राशि (SUM INSURED) के लिए तीन विकल्प :–
  - I. पूर्ण राशि का बीमा अनिवार्य है।
  - II. कृषक निर्धारित उपज के मूल्य तक बीमा करा सकते हैं।
  - III. कृषक औसत उपज के 150 प्रतिशत् तक की राशि का बीमा करा सकते हैं।
- वर्ष 2011–12 में भी राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रीमियम की राशि में 10 प्रतिशत का अनुदान।
- अनुदान की राशि का भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वहन।
- फसलों की क्षति का आकलन फसल कटनी के परिणामों पर।
- मुख्य फसलों जैसे धान एवं गेंहू हेतु अंचल तथा शेष फसलों के लिए जिला आकलन की इकाई।

- क्षतिपूर्ति की राशि का भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वहन।
- बीमा योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी एग्रीकल्चर इन्स्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड पटना है।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)

यह योजना रब्बी 2007–08 मौसम से राज्य में लागू है। इस योजना के तहत् तापमान में परिवर्त्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला आदि कारणों से फसल की क्षति होने पर क्षति के आकलन का प्रावधान है।

योजना की मुख्य विशेषतायें :

I. इस योजना में राज्य एवं केन्द्र सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान तक ही सीमित है।

II. क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कम्पनी को वहन करना है।

III. इस योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी एग्रीकल्चर इन्स्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि॰, पटना है। रब्बी 2009–10 मौसम से उक्त कम्पनी के अतिरिक्त आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लोम्बार्ड को भी बीमा कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। रब्बी 2011–12 मौसम से उपर्युक्त दो बीमा कम्पनियों के अतिरिक्त इफ्फको टोकियो, एच॰डी॰एफ॰सी॰ इरगो तथा चोलामंडलम बीमा कम्पनियों को भी बीमा हेतु प्राधिकृत किया गया है।

IV. कृषकों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुसार ही प्रीमियम राशि जमा करना है।

मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS)

यह योजना रब्बी 2010–11 मौसम से राज्य के तीन जिले मुंगेर, जमुई एवं शिवहर में लागू है। इस योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी एग्रीकल्चरल इन्स्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि॰, पटना है। वित्तीय भार के मामले में राज्य सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान तक सीमित है। क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कम्पनी को ही वहन करना है। प्रीमियम अनुदान की राशि में केन्द्र सरकार एव राज्य सरकार का अंशदान 50:50 के अनुपात में है।

बिहार राज्य में राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा की प्रगति निम्नवत् है :–

(राशि लाख में)

मौसम	वर्ष	कुल बीमित कृषकों की संख्या	कुल बीमित राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या	क्षतिपूर्ति की राशि
खरीफ	2006	344686	59133.07	75880	4018.75
	2007	641847	116318.81	332291	41017.34
	2008	337638	72693.30	67609	6122.78
	2009	710557	166403.68	379864	46658.17
	2010	884439	205451.88	क्षतिपूर्ति भुगतान जाँच प्रक्रिया अन्तर्गत	
	2011	331145	83500.16	Claims under process.	
रब्बी	2005–06	187961	28439.99	102929	5303.95
	2006–07	339749	59439.59	65927	3410.54
	2007–08	271171	56884.59	47043	4982.86
	2008–09	432258	102473.99	157455	18935.00
	2009–10	357297	104967.67	153703	24626.22
	2010–11	9396	3058.29	401	14.62

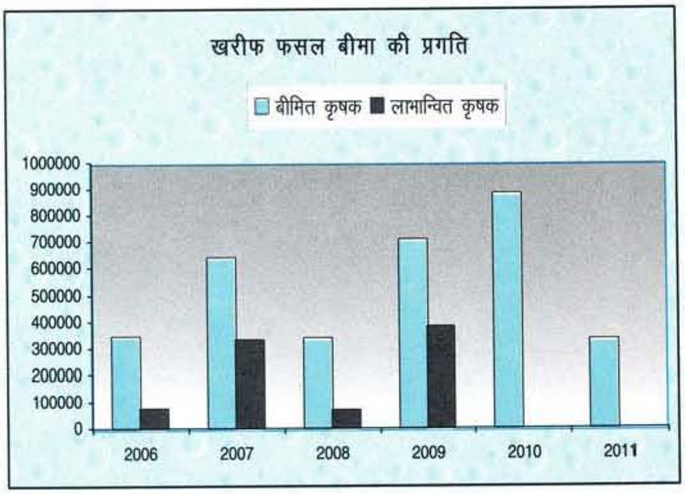
खरीफ फसल बीमा की प्रगति
बीमित कृषक
लाभान्वित कृषक
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011

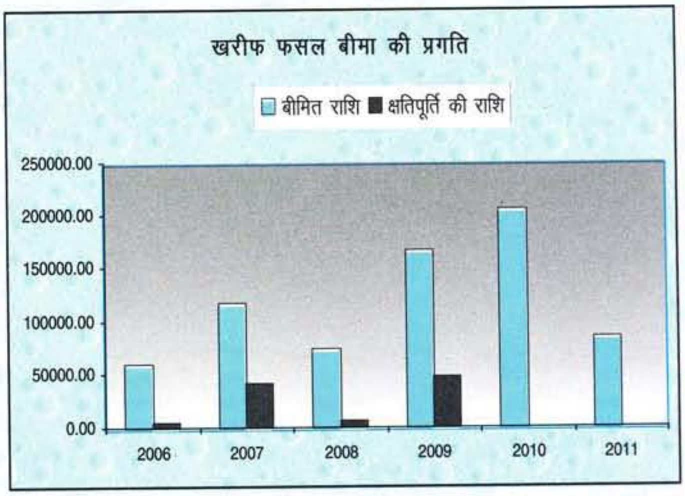
खरीफ फसल बीमा की प्रगति
बीमित राशि
क्षतिपूर्ति की राशि
250000.00
200000.00
150000.00
100000.00
50000.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
2011

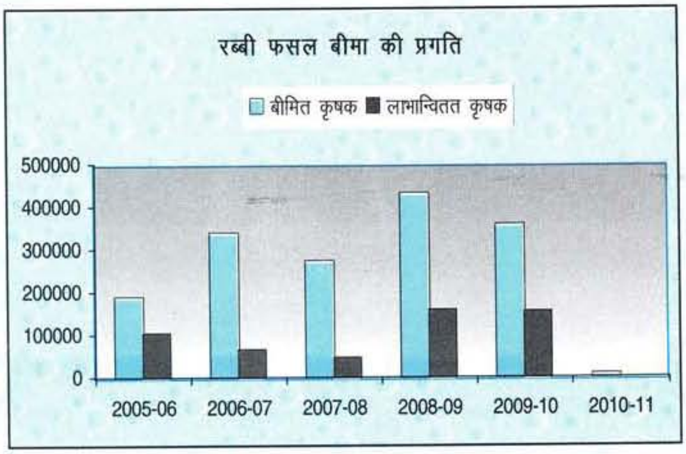
रब्बी फसल बीमा की प्रगति
बीमित कृषक
लाभान्वितत कृषक
500000
400000
300000
200000
100000
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

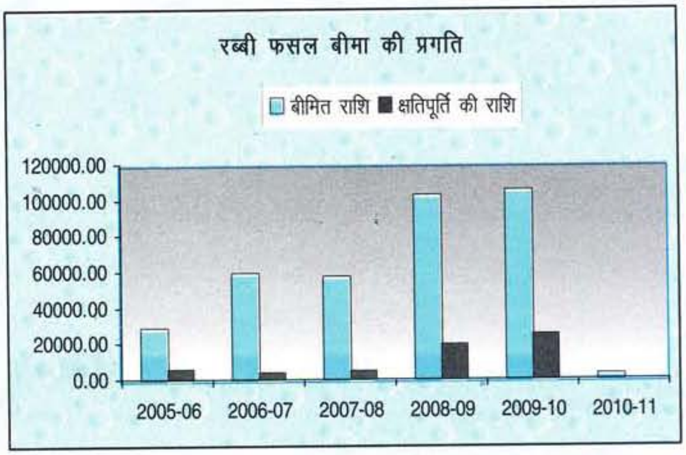
रब्बी फसल बीमा की प्रगति
बीमित राशि
क्षतिपूर्ति की राशि
120000.00
100000.00
80000.00
60000.00
40000.00
20000.00
0.00
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

मौसम आधारित फसल बीमा की प्रगति निम्नवत् है

(राशि करोड़ रू.में)

मौसम	वर्ष	कुल बीमित कृषकों की संख्या	कुल बीमित राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या	क्षतिपूर्ति की राशि
खरीफ	2008	78110	173.31	37435	4.87
	2009	396684	937.00	309908	51.96
	2010	408823	939.96	408559	88.98
	2011	450945	1068.75	क्षतिपूर्ति भुगतान प्रक्रियाधीन	
रब्बी	2007–08	16158	27.73	10510	1.70
	2008–09	138443	324.32	97011	21.65
	2009–10	468514	1098.56	329405	67.99
	2010–11	1264084	3024.67	क्षतिपूर्ति भुगतान प्रक्रियाधीन	

(iii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारम्भ वर्ष 2007–08 के राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिनांक 29/05/2007 की सम्पन्न बैठक के निर्णय के आलोक में किया गया है। इस योजना के तहत् सहकारिता प्रक्षेत्र अन्तर्गत कृषि उत्पाद संचयन अभिवृद्धि के निमित्त राज्य में गोदामो का निर्माण कराया जा रहा है। योजना से राज्य के खाद्यान्न, उर्वरक एवं अन्य कृषि उत्पाद हेतु वैज्ञानिक भंडारण क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होगी जिससे राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उनके कृषि उत्पाद के वैज्ञानिक भंडारण का लाभ मिलेगा।

योजना की अबतक की उपलब्धि निम्नवत् है :–

- इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 1929.30 लाख रू॰ एवं 2008–09 में 374.00 लाख रू॰ बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध कराया गया है।
- बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा 40 हजार मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 10 हजार मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माणाधीन है।
- इस योजनान्तर्गत 40 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने के निमित्त वर्ष 2008–09 में प्रति पैक्स 12.00 लाख रू॰ की दर से कुल 480.00 लाख रू॰ उपलब्ध कराया गया है। 33 पैक्सों में कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष में निर्माणाधीन है।
- वर्ष 2010–11 में ही 58 नये पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु 804.00 लाख रू॰ जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से समितियों को उपलब्ध कराया गया है।
- वर्ष 2010–11 में 100 पैक्सों एवं 10 व्यापार मंडलों में 200 मे॰टन प्रति पैक्स एवं 10 पैक्सों में 100 मे॰टन प्रति पैक्स क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु 543.19 लाख रू॰ की निकासी कर सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है।
- वर्ष 2010–11 में बिस्कोमान के 98 जीर्ण–शीर्ण गोदामों की मरम्मती हेतु 149.00 लाख रू॰ उपलब्ध करा दिया गया है। मरम्मती कार्य बिस्कोमान द्वारा कराया जा रहा है।

- वर्ष 2011-12 में 500 पैक्सों में 200 मे०टन क्षमता का गोदाम बनाने के निमित्त 5000.00 लाख रू०, 100 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु 1500.00 लाख रू० तथा राज्य के सात जिलों यथा नालन्दा, भागलपुर, वैशाली, कटिहार, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर में एक-एक कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु 1750.00 लाख रु० की योजना प्रस्तावित है। परन्तु इसके तहत् 131 पैक्सों का चयन कर 1310.00 लाख रू० की ही निकासी अब तक की गई है।

(iv) अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पादों का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित समर्थन मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियाँ धान/चावल, गेंहू का क्रय करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में राज्य के कृषकों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान क्रय करने की जिम्मेवारी सहकारिता प्रक्षेत्र में पैक्सों को सौंपी गयी है। राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। पैक्सों द्वारा कृषकों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान का क्रय कर सीधे राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर भेजा जा रहा है। इस वर्ष पैक्सों को 18.00 लाख मे०टन धान क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विचौलियों की भूमिका को जड़ से निर्मूल करने के लिए पैक्स के कृषक सदस्यों से ही धान की अधिप्राप्ति की जा रही है। सदस्यों को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही भुगतान किया जा रहा है। जिन कृषक सदस्यों का खाता केन्द्रीय सहकारी बैंक में नहीं था उनका खाता बैंकों में खोला गया है ताकि भुगतान प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हो। कृषकों को जागरूक करने के उद्देश्य से सभी पैक्स के क्रय केन्द्रों पर एक बड़े एवं सामान्य आकार का बैनर लगाया गया है जिसपर धान क्रय की मानक विशिष्टता, दर एवं पैक्स का नाम अंकित है। धान अधिप्राप्ति में पैक्सों को वित्तीय कठिनाई नहीं हो इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य सहकारी बैंक को 400.00 करोड़ रू० का ऋण वार्षिक 9 प्रतिशत ब्याज दर पर राज्य योजना से स्वीकृत किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के निमित्त प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को भी अपने स्तर से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभाग एवं एजेन्सी के पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की जिम्मवारी सौंपी गयी है। सहकारिता विभाग द्वारा जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर इसे दूरभाष/फैक्स से युक्त किया गया है। विभाग के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस अभियान को सफल बनाने के दायित्व के साथ-साथ मुख्यालय स्तर पर भी सभी पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों में अनुश्रवण की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। मुख्यालय स्तर पर भी एक नियंत्रण कक्ष स्थापित है जो फैक्स एवं दूरभाष की सुविधा से युक्त है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया है कि इस अभियान में जिस स्तर पर भी कठिनाई हो, तो तुरंत मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष को सूचना दी जाय।

विगत तीन वर्षों में धान/गेहुं अधिप्राप्ति की प्रगति निम्नवत् है :-

(मात्रा मे॰ टन में)

वर्ष	धान		गेंहू	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2009-10	325000.00	656000.00	475000.00	172571.00
2010-11	500000.00	813000.00	450000.00	90000.00
2011-12	1800000.00	817269.23	550000.00	358000.61

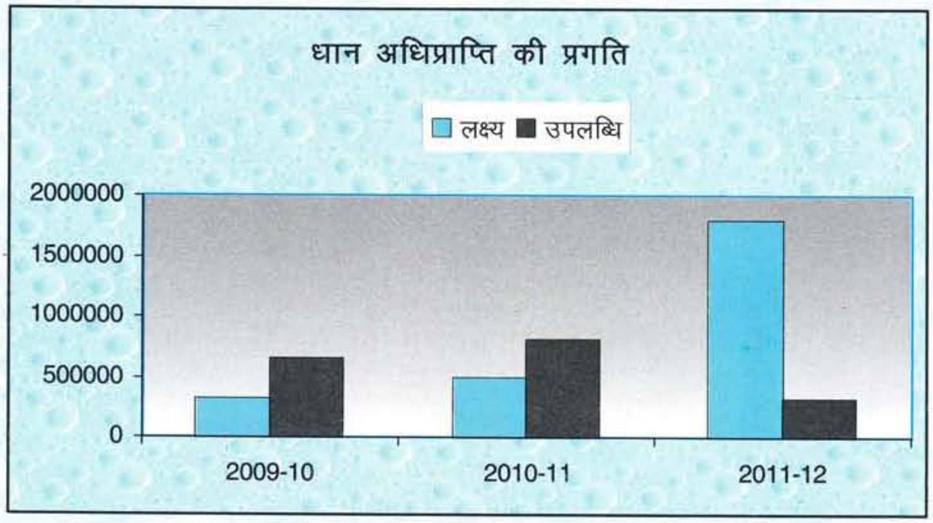

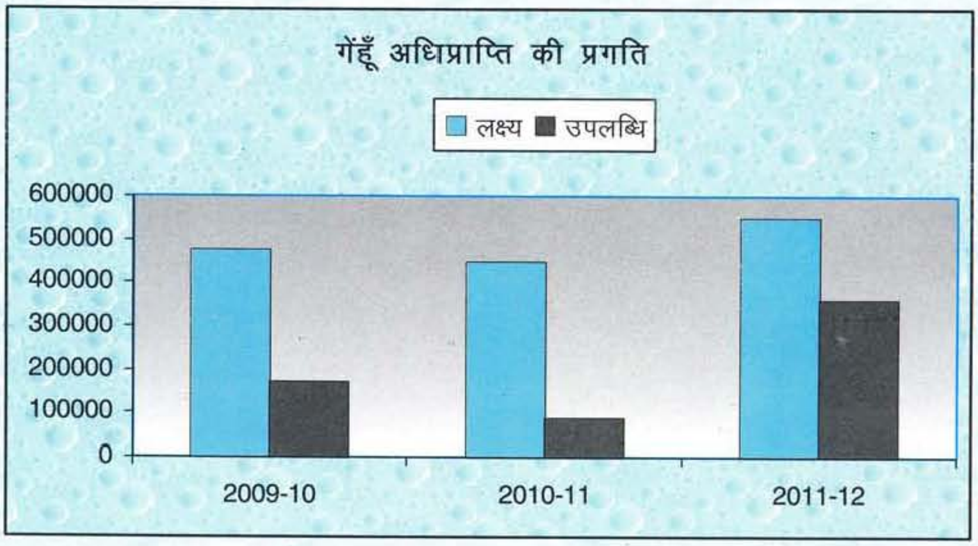

(v) वार्षिक योजना

वार्षिक योजना 2011–12 के लिए राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत कुल 116868.00 लाख रू० का उपबंध स्वीकृत था जिसके विरूद्ध जनवरी, 2012 तक 64211.94197 लाख रू० का व्यय किया गया।

वर्ष 2011–12 के लिए मदवार उपबन्धित राशि एवं व्यय की गई राशि निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	उपबंधित राशि			व्यय की गई राशि
		राज्य योजना	केन्द्र प्रायोजित योजना	कुल राशि	
1	**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**				
	i. प्रीमियम अनुदान	638.29	–	638.29	638.29
	ii. क्षतिपूर्ति अनुदान	26000.00	–	26000.00	18162.50
2	पायलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु प्रीमियम अनुदान	21836.00	–	21836.00	3000.00
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	8250.00	–	8250.00	1310.00
4	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	2449.00	–	2449.00	1000.00
5	एन०सी०डी०सी० सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना	175.00	5339.08	5514.08	99.765
6	सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा के नवीकरण/मरम्मति	25.00	–	25.00	
7	विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण	2.00	–	2.00	1.38697
8	विभागीय कार्यों के लिए प्रचार–प्रसार	15.00	–	15.00	
9	गोदाम निर्माण एवं मरम्मती हेतु सहकारी समितियों को अनुदान	4000.00	–	4000.00	
10	सहकारिता विभाग का आधुनिकीकरण	250.00	–	250.00	
11	अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु बैद्यनाथन कमिटि के आलोक में सहकारी समितियों को अनुदान	7888.63	–	7888.63	
12	धान अधिप्राप्ति हेतु सहकारी समितियों को ऋण	40000.00	–	40000.00	40000.00
	कुल	111528.92	5339.08	116868.00	64211.94197

4. सहकारी कृषि साख एवं उपलब्धियाँ

राज्य में सहकारिता आन्दोलन के क्रमिक विकास में कृषि साख एक महत्वपूर्ण अंग है। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि की अनिवार्यता के साथ ही कृषि साख की सुविधा उपलब्ध कराने में सहकारिता की मुख्य भूमिका रही है। सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन साख उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

I. अल्पकालीन कृषि साख (त्रिस्तरीय ढाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि. राज्य सरकार की गारन्टी पर नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर एवं अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी अधिकोष के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को निर्धारित मापदण्ड पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराता है। कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख को सरल एवं ससमय उपलब्ध कराने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ से 31.12.2011 तक 914793 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 121212.73 लाख रू. स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार बिहार राज्य सहकारिता अधिकोष, केन्द्रीय सहकारी अधिकोष एवं प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) सहकारी आन्दोलन के परिकल्पना के अनुरूप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्पकालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से बैद्यनाथन कमिटि की अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाया जा रहा है।

विगत 5 वर्षों में अल्पकालीन ऋण वितरण की प्रगति निम्नवत् है :-

(रू. लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2007-08	37200.00	35195.48
2008-09	65000.00	31653.63
2009-10	99909.00	35253.63
2010-11	80700.00	42189.21
2011-12 दिसम्बर, 2011 तक	180681.00	31044.57

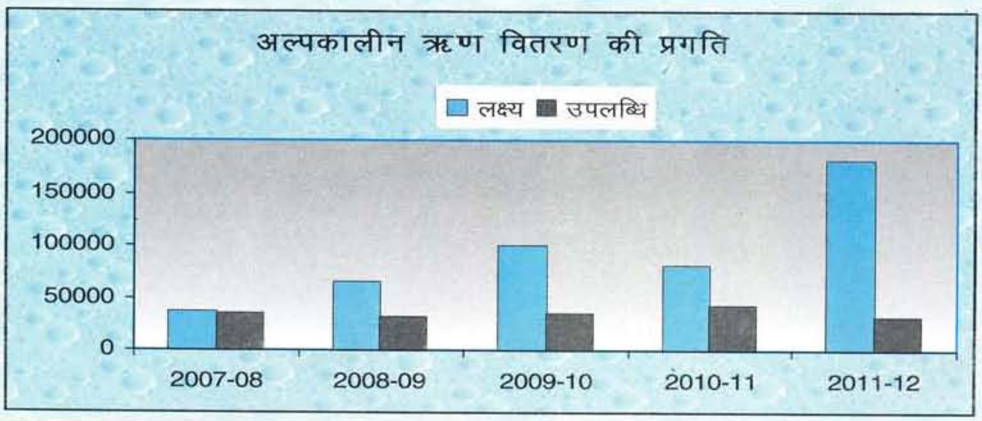

विगत पाँच वर्षों का अल्पकालीन ऋण की माँग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है :–

(रू॰ लाख में)

वर्ष	माँग	वसूली
2007–08	60155.30	20318.11
2008–09	63266.19	34321.73
2009–10	55101.77	27382.07
2010–11	50971.19	27126.87
2011–12 दिसम्बर, 2011 तक	32060.11	12433.22

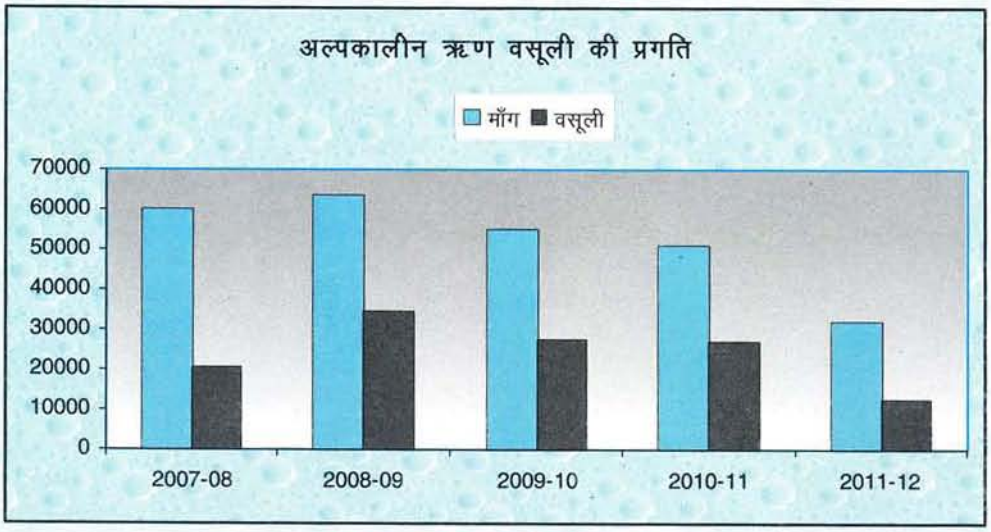

(i.) राज्य सहकारी बैंक लि॰

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय ढ़ांचा के अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना का नेतृत्व कर रहा है। यह बैंक राज्य सरकार की गारंटी पर नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर एवं अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन् कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 16 शाखायें कार्यरत हैं, जिसमें से सभी शाखायें पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं। इन शाखाओं द्वारा बैंकिग व्यवसाय भी किया जाता है तथा गैर–कृषि यथा व्यैक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह ऋण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी प्रदान किया जाता है। विगत सात वर्षों में बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्त्तन आया है जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है।

इस बैंक का प्रमुख उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमांत कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल की बोआई के समय उनके साख जरूरतों को जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराना है। कृषकों के अतिरिक्त वेतनभोगी एवं कमजोर तबके के लोगों को सहकारी समितियों के माध्यम से वांछित कोष उपलब्ध कराना है।

विगत तीन वर्षों में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

क्र॰ सं॰	विवरण	31.03.2010	31.03.2011	31.12.2011
1	2	3	4	5
1	Share-Capital	1881.08	1959.28	1959.28
2	Statutory Reserve	5415.42	5415.42	5415.42
3	Other Resrve	12356.84	12495.78	12495.78
4	Owned Fund	40252.99	43147.86	45394.17
5	Deposit	150569.73	159724.48	142693.80
6	Borrowing	11874.36	14919.74	38637.07
7	Working Capjital	223480.71	236526.33	267805.31
8	Investment	132406.72	96581.24	122774.24
9	Loans Outstanding	64157.08	98327.75	96263.69
10	Undistributed Profit	0.00	2369.82	4458.91

(ii.) केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰

त्रिस्तरीय अल्पकालीन कृषि साख संरचना में केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति (पैक्स) के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवर्ती वित्त पोषक बैंक है। केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति की केन्द्रीय सहकारी समिति के रूप में अल्पकालीन कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिला में अवस्थित सभी पैक्स केन्द्रीय सहकारी बैंक के सदस्य होते हैं। राज्य में कुल 22 (बाईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। परिसमापनाधीन तीन केन्द्रीय सहकारी बैंको यथा सारण, दरभंगा एवं मधेपुरा में से सारण एवं दरभंगा में राज्य सहकारी बैंक की शाखा तथा मधेपुरा में राज्य सहकारी बैंक की विस्तारित शाखा खोली गयी है ताकि उन जिलों के कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण मिलने में कठिनाई नहीं हो। वैसे राज्य के सभी जिले जहाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं हैं, वैसे जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। बैद्यनाथन कमिटि की अनुशंसाओं के आलोक में पुनरोद्धार पैकेज के तहत् केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु कुल रू॰ 360.79 करोड़ का पैकेज स्वीकृत है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की आकलित राशि 18.24 करोड़ रू॰ के विरूद्ध 15.48 करोड़ रू॰ स्वीकृत कर विमुक्त कर दिया गया है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं उसके शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 13 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। शेष बैंकों में भी अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति (31.03.2011) तक निम्नप्रकार है :–

(रू॰ लाख में)

क्र॰ सं॰	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	हिस्सा पूंजी	जमा	ऋण वकाया	कार्यशील पूंजी	माँग	वसूली	अतिदेय
1	नालन्दा	422.22	8188.89	2670.53	12374.00	2714.00	534.46	2179.54
2	पाटलीपुत्रा	507.29	21403.01	3520.06	26520.40	2487.97	1074.06	1413.91
3	मगध (गया)	1081.58	2630.08	1064.69	5102.88	941.77	156.02	785.75
4	नवादा	657.06	4527.11	2464.98	9238.16	1764.42	1129.97	634.45
5	आरा	528.55	18081.91	2586.59	23829.83	1938.43	1121.83	816.60
6	सासाराम	2746.51	5689.61	4279.17	12408.51	968.60	626.21	342.39
7	भागलपुर	439.06	9312.11	2634.58	14691.63	2378.23	643.98	1734.25

8	मुंगेर	341.21	5553.19	3643.65	11475.46	1732.15	1043.92	688.23
9	बेगूसराय	654.68	6782.36	4524.65	12687.83	3348.86	2359.52	1189.34
10	पूर्णियाँ	1718.39	4538.19	4963.46	13633.11	4621.62	3000.36	1621.26
11	मुजफ्फरपुर	1851.60	4504.68	2170.84	12624.81	2175.04	408.93	1766.11
12	सीतामढ़ी	351.07	8333.66	2097.13	13093.56	2551.29	768.77	1782.52
13	रोहिका (मधुबनी)	1803.30	6143.16	4547.19	12457.46	4249.35	2312.67	1936.68
14	बेतिया	1218.35	6763.06	2961.57	10713.82	899.95	175.33	724.62
15	मोतिहारी	2180.48	4658.70	6424.98	17381.51	4877.91	3273.28	1604.63
16	सिवान	699.00	7865.62	1628.39	11832.35	823.48	508.12	315.36
17	गोपालगंज	484.16	18644.57	5752.61	23956.34	2357.14	1215.45	1141.69
18	औरंगाबाद	1218.07	5868.50	4524.93	13188.73	2325.03	2076.02	249.01
19	खगड़िया	538.45	3540.91	3505.38	7977.99	1818.92	1379.19	439.73
20	कटिहार	1093.45	1909.13	2068.83	6657.11	1216.10	340.60	875.50
21	वैशाली	792.93	233.72	928.33	4645.14	477.11	201.20	275.91
22	समस्तीपुर	797.28	7137.18	5372.28	12086.62	4103.82	2776.98	1326.84
	कुलयोग :–					50971.19	27126.87	23844.32

(iii.) प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इसमें संस्थागत सुधार करते हुए प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स का गठन किया गया। पैक्सों में आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया गया। पैक्सों में अनुसूचित जाति/जन जाति, पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों एवं महिलाओ की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इनके एक हिस्सा राशि एवं सदस्यता शुल्क का भुगतान किया गया। पैक्स के प्रबंधन में कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के निमित्त इन वर्गों के लिए प्रबंधन में सीटों का आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। फलस्वरूप पैक्सों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल है। पैक्सों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण के साथ–साथ खाद, बीज, कृषि यंत्र आदि भी प्रदान किया जा रहा है। पैक्सों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से पैक्सों के माध्यम से जनवितरण प्रणाली का कार्य करने के निमित्त पैक्सों को लाईसेन्स जारी किया गया है। बहुत से पैक्स बैंकिंग व्यवसाय में भी संलग्न हैं तथा अपने श्रोत से भी कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराने में सक्षम हैं। राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से पैक्सों के माध्यम से सरकारी समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान की अधिप्राप्ति की जा रही है। इससे कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त होने के साथ–साथ पैक्सों को भी कृषकों के हितकारी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित संस्था के रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान हो रहा है। भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओ अन्तर्गत पैक्सों में गोदाम निर्माण कराये जा रहे हैं। पैक्सों में लघु उद्योग के तहत् चावल मिल, आंटा चक्की, तेल मिल, कोल्ड स्टोरेज भी स्थापित किये जा रहे हैं।

विगत चार वर्षों का पैक्स का वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(रू० लाख में)

वर्ष	पैक्स की संख्या	सदस्य संख्या (हजार में)	हिस्सा पूंजी	सुरक्षित निधि	जमा	कार्यशील पूंजी
2008–09	8463	9435	9512.28	272.22	13518.42	48813.12
2009–10	8463	9637	9530.58	276.12	14044.21	49316.42
2010–11	8463	9765	9542.72	282.14	17532.91	49812.32
2011–12	8463	9972	9601.42	302.18	17431.35	50816.28

ii. प्रो॰ बैद्यनाथन कमिटि की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरोद्धार योजना

राज्य में अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं के वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने, प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने एवं संस्थागत सुधार लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैद्यनाथन कमिटि के अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा तैयार पुनरोद्धार पैकेज के क्रियान्वयन हेतु त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापान (MOU) प्रारूप पर दिनांक 15.03.2007 को राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।

पुनरोद्धार पैकेज का मुख्य उद्देश्य निम्नांकित है

1. अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं की दिनांक 31.03.2004 तक की तिथि तक कुल संचित हानि की भरपायी करते हुए इन संस्थाओं को एक स्वीकार्य वित्तीय स्तर प्रदान करना।
2. इन संस्थाओं को पूर्णरूपेण जनतांत्रिक, स्वावलम्बी एवं सक्षम रूप से कार्य करने हेतु वैद्यानिक एवं संस्थागत सुधार करना।
3. प्रबंधन गुणवत्ता मे सुधार लाना।

पुनरोद्धार पैकेज पर अबतक की उपलब्धि

1. प्रथम चरण में राज्य के कुल 6059 पूर्ववर्ती पैक्सों (छः पैक्सों को छोड़कर) के संदर्भ में कुल 442.15 करोड़ का पुनरीक्षित पैकेज स्वीकृत।
2. भारत सरकार द्वारा अपने हिस्से के आकलित राशि रू॰ 322.81 करोड़ में से कुल 265.05 करोड़ की राशि विमुक्त। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से के आकलित राशि कुल रू॰27. 46 करोड़ स्वीकृत/विमुक्त।
3. द्वितीय चरण में राज्य के कुल 22 केन्द्रीय सहकारी बेंको हेतु कुल रू॰ 360.79 करोड़ का पैकेज स्वीकृत। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का आकलित राशि रू॰ 18.24 करोड़ के विरूद्ध 15.48 करोड़ स्वीकृत। केन्द्रीय सरकार के हिस्से की आकलित राशि रू॰ 272.82 करोड़ की विमुक्ति अपेक्षित।
4. अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं के संदर्भ में बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 में आवश्यक संशोधन कर बिहार सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2008 लागू।
5. संशोधित अधिनियम अन्तर्गत इन संस्थाओं में राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी को कुल पूंजी के 25 प्रतिशत के अन्तर्गत सीमित करते हुए शेष हिस्सा पूंजी लगभग रू॰ 74.88 करोड़ को अनुदान मद में परिवर्तित करने के राज्य मंत्रीपरिषद की स्वीकृति के उपरान्त आदेश निर्गत।
6. संशोधित अधिनियम के अनुसार सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार करने हेतु प्रक्रिया के अध्ययन के लिए विभागीय पदाधिकारी के दल को अन्य राज्य में भ्रमण।

7. अल्पकालीन साख सहकारी संस्थाओं में समान लेखा प्रणाली/प्रबंधकीय सूचना प्रणाली लागू।
8. नाबार्ड द्वारा पायलट आधार पर इन संस्थाओं को कम्प्यूटरीकृत करने की कार्रवाई प्रारम्भ।
9. पैक्सों द्वारा प्रबंधकों की नियुक्ति।
10. नियुक्त प्रबंधक एवं पैक्स के प्रबंधकारिणी सदस्य का क्रमिक रूप से जिला स्तर पर प्रशिक्षण की कार्रवाई अन्तिम चरण में।
11. पैक्सों द्वारा व्यवसाय विकास कार्यक्रम (BDP) तैयार कर व्यवसाय विकास योजना प्रारम्भ।

"क" पुनरोद्धार पैकेज अन्तर्गत पैक्सों को वित्तीय सहायता

(रू॰ करोड़ में)

क्रिया कलाप	कुल पैक्सों की संख्या	आच्छादित पैक्सों की संख्या	कुल पुनरोद्धार पैकेज				अभ्युक्ति
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	पैक्स का हिस्सा	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुमोदित	8463	8448	322.81	27.46	91.89	442.16	
विमुक्त हिस्सा			265.05	27.45	—	292.50	
अवशेष			57.76	—	91.89	149.65	

"ख" जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता

(रू॰ करोड़ में)

क्रिया कलाप	कुल केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या	आच्छादित केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या	कुल पुनरोद्धार पैकेज				अभ्युक्ति
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	केन्द्रीय सहकारी बैंकों का हिस्सा	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुमोदित	22	22	272.82	18.24	69.73	360.79	
विमुक्त हिस्सा				15.48	—	15.48	
अवशेष			272.82	2.76	69.73	345.31	

"ग" राज्य सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता

(रू॰ करोड़ में)

क्रिया कलाप	कुल राज्य सहकारी बैंकों की संख्या	आच्छादित राज्य सहकारी बैंकों की संख्या	कुल पुनरोद्धार पैकेज				अभ्युक्ति
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	राज्य सहकारी बैंकों का हिस्सा	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुमोदित	1	1	38.86	0.68	1.08	40.62	
विमुक्त हिस्सा			—	—	—	—	
अवशेष			38.86	0.68	1.08	40.62	

5. सुशासन के कार्यक्रम

सुशासन के कार्यक्रम के तहत् सहकारिता आन्दोलन को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में निम्नांकित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :-

1. पैक्सों का सुदृढ़ीकरण :-

पैक्सों के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित कदम उठाये गये हैं-

(क) भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि :-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत पैक्सों के भंडारण क्षमता हेतु गोदाम निर्माण। समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत अबतक 100 मे॰टन क्षमता के 741 गोदाम पैक्सों में बनवाये गये हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् 100 पैक्सों एवं 10 व्यापार मंडलों में 200 मे॰टन प्रति पैक्स एवं 10 पैक्सों में 100 मे॰टन प्रति पैक्स गोदाम निर्माण हेतु 545.19 लाख रू॰ का निकासी कर जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2011-12 में 500 पैक्सों में 200 मे॰टन क्षमता का गोदाम बनाने का लक्ष्य के विरूद्ध 131 पैक्सों का चयन कर 1310.00 लाख रू॰ की निकासी कर सम्बन्धित जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ख) पैक्सों द्वारा खाद व्यवसाय :-

कुल 8463 पैक्सों में से 6331 पैक्सों को खाद व्यवसाय हेतु लाईसेन्स प्राप्त है जिसमें से 4685 पैक्स खाद व्यवसायरत हैं। वर्ष 2011-12 में पैक्सों द्वारा अबतक लगभग दो लाख मे॰टन खाद का व्यवसाय किया गया है जिसमें रू॰ 53195.36 लाख की राशि सन्निहित है।

(ग) पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना :-

98 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने के निमित्त वर्ष 2008-09 में 480.00 लाख एवं 2010-11 में 804.00 लाख रू॰ पैक्सों को उपलब्ध करा दिया गया है। जिसमें से 33 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित किया जा चुका है। वर्ष 2011-12 में 100 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल लगाने का प्रस्ताव के तहत् 1500.00 लाख रू॰ की योजना प्रस्तावित है।

(घ) पैक्सों को जनवितरण प्रणाली से जोड़ना :-

पैक्सों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् पैक्सों को जनवितरण प्रणाली का कार्य करने हेतु अबतब 5703 पैक्सों को अनुज्ञप्ति प्राप्त होगया है।

2. व्यापार मंडल का पुनर्गठन :-

प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन किया गया है। नव सृजित प्रखंडों में जहाँ पूर्व से व्यापार मंडल गठित नहीं था वहाँ व्यापार मंडल का गठन कर प्रखंड स्तरीय विपणन सहकारी

संस्था को मजबूती प्रदान किया गया है। अबतक राज्य में पुनर्गठन के पश्चात् 521 व्यापार मंडल का गठन हो गया है। राज्य के कुल 534 प्रखंडों में से 13 प्रखंड में कोरम के अभाव में व्यापार मंडल का गठन नहीं किया जा सका है।

3. मत्स्यजीवी सहकारी समितियों का पुनर्गठन :–

राज्य में मत्स्यपालन विकास की सम्भाव्यता के उद्देश्य से एक प्रखंड में मात्र एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन के निर्णय के तहत् एक प्रखंड में पूर्व से सहकारिता अधिनियम 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी अधिनियम, 1996 के तहत् गठित मत्स्यजीवी सहकारी समिति को पुनर्गठित कर प्रखंड स्तर पर मात्र एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत् गठित किये गये हैं। अभी तक 379 प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न मत्स्यजीवी समितियों के बीच निरन्तर चलने वाले जलकर विवाद के जड़ को समूल नष्ट कर प्रखंड के सभी मत्स्यपालकों को एक छतरी के नीचे लाकर उनका आर्थिक विकास करना है।

4. केन्द्रीय सहकारी बैंकों का पुनर्गठन :–

पंचायत स्तर पर पैक्स, प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के पुनर्गठन के साथ–साथ इन समितियों की केन्द्रीय सहकारी संस्था जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ किया जा रहा है। वैसे जिला जहाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक परिसमापित हैं, अथवा पूर्व से गठित नहीं हैं, वैसे जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना/पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है। तत्काल जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक परिसमापन में हैं वहाँ राज्य सहकारी बैंक की शाखा कार्य कर रही है।

5. सहकारिता के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण :–

सुशासन के कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण के तहत् सहकारिता के माध्यम से राज्य के धुनियाँ, रंगरेज और दर्जी पेशे से जुड़े लोगों की दशा सुधारने हेतु बिहार राज्य धुनियाँ, रंगरेज, दर्जी को–ऑपरेटिव फेडरेशन (धुरद) का निबंधन बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत किया गया है।

6. धान/चावल अधिप्राप्ति :–

सहकारिता विभाग राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम सरकारी समर्थन मूल्य सुलभ कराने के लिए पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य संचालित कर रही है।

इस प्रकार एक ओर जहाँ पैक्सों में अधिप्राप्ति व्यवसाय हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कृषकों को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य सुलभ हो रहा है। प्रदेश के कृषकों को खुशहाल बनाने की दिशा में पैक्सों द्वारा संचालित यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।

रब्बी विपणन मौसम 2011–12 में राज्य के कृषकों से सहकारिता के माध्यम से 3.58 लाख मे॰टन गेंहू एवं खरीफ 2011–12 विपणन मौसम में दिनांक 23.02.12 तक 8.17 लाख मे॰टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है।

6. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत सहकारी समितियों के लेखा का प्रति वर्ष अंकेक्षण वैधानिक अनिवार्यता है। एतदर्थ निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा समितियों के वैधानिक अंकेक्षण, जाँच अंकेक्षण, सम्वर्ती अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते हैं। विभाग में विशिष्ट श्रेणियों की सहकारी समितियों के लेखा अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंन्टस का भी एक पैनल स्वीकृत है जिन्हें अंकेक्षण मैन्युअल के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण का दायित्व सौंपा गया है।

सहकारी समितियों में अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि के प्रावधानों के आलोक में जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन/सत्यापन, त्रुटियों/अनियमितताओं/दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारात्मक उपायों पर परामर्श देना है।

विगत पाँच वर्षों में सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत है :-

वर्ष	अंकेक्षित सहकारी समितियों की संख्या			
	पैक्स	व्यापार मंडल	अन्य	कुल
2007-08	2269	68	306	2643
2008-09	2030	67	390	2487
2009-10	2327	31	62	2420
2010-11	2046	13	-	2059
2011-12	1939	11	15	1965

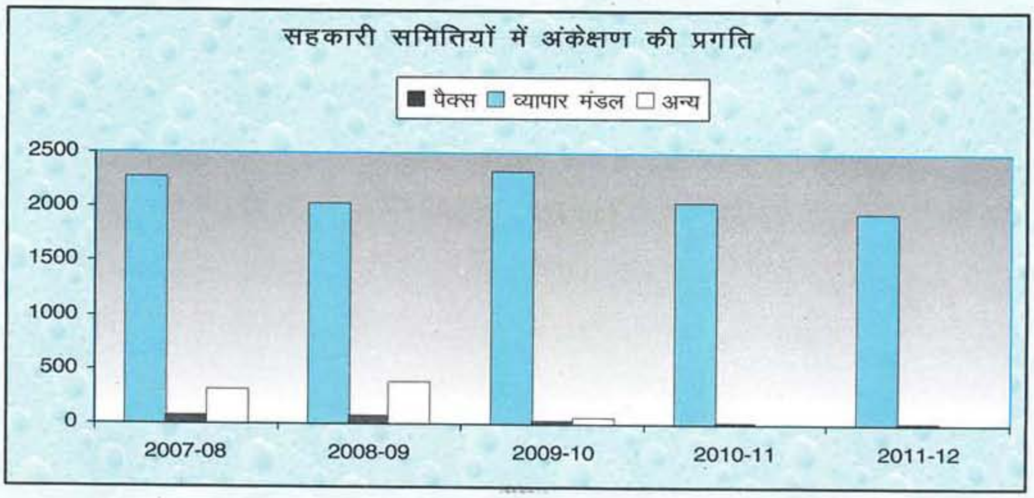

अबतक बैद्यनाथन कमिटि के अनुशंसाओं के आलोक में पुनरोद्धार योजना के तहत् सभी पैक्सों का विशेष अंकेक्षण करते हुए नवगठित 7398 पैक्सों में से 7390 पैक्सों के आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन कर दिया गया है।

अंकेक्षकों के कमी के कारण सनदी लेखाकार एवं सेवानिवृत अंकेक्षकों से भी समितियों का अद्यतन अंकेक्षण कराने की वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है।

सनदी लेखाकार का भी एक पैनल है। उस पैनल के अंकेक्षकों से शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय स्तर की सहकारी समितियों, अरबन को-ऑपरेटिव बैंक, प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण समिति, कर्मचारी साख समिति एवं प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियाँ विभागीय प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक अंकेक्षण कराने हेतु स्वतंत्र हैं।

सनदी लेखाकार पैनल के अंकेक्षकों के लिए विभागीय परिपत्र के अन्तर्गत अंकेक्षण शुल्क के निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गए हैं। इस परिपत्र के अनुसार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का अंकेक्षण शुल्क, वार्षिक कारोबार अथवा कार्यशील पूँजी के आधार पर आकलित की जाती है।

बिहार सहकारी समिति नियमावली, 1959 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष के समाप्ति के तीन माह के अन्दर समिति का अन्तिम लेखा विवरणी निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं अंकेक्षक को समर्पित कर देना है। अन्तिम लेखा विवरणी प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार नहीं किये जाने की स्थिति में निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा उसे सशुल्क तैयार कराने का प्रावधान भी है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि यदि सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी समिति अधिनियम, नियमावली अथवा वाइलॉज के तहत् निर्धारित जिम्मेवारी निभाने में विफल रहती है तो सफाई का एक मौका देते हुए निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा प्रबंधकारिणी समिति को अधिकतम छः मास के लिए निलम्बित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यथेष्ट कारण उपलब्ध रहने पर प्रबंधकारिणी समिति के सभी अथवा कुछ सदस्यों को अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रबंधकारिणी समिति के लिए चुने जाने हेतु अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। जो भी समिति जान बूझकर अपना लेखा एवं अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध कराने में आनाकानी करते हैं तो उनके विरूद्ध Non-production of Records के लिए मामला दायर किया जा सकता है और इस अपराध के लिए अधिकतम छः माह के लिए कैद अथवा 500 रू॰ का जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष के समाप्ति के पाँच माह के अन्दर विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ कौ उपलब्ध कराना है जिसमें अंकेक्षित लेखा भी शामिल है। उक्त प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने के अपराध में कारावास अथवा जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है।

7. महत्वपूर्ण सहकारी शीर्ष संस्थान

(i.) बिहार राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान)

सहकारी प्रक्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान) एक शीर्ष सहकारी विपणन संस्थान के रूप में गठित है। राज्य के कृषि उत्पादन में व्यापार मंडलों एवं पैक्सों के माध्यम से कृषकों को खाद, बीज, कींटनाशक दवा आदि उपलब्ध कराना एवं कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के पणन, भंडारण एवं शीत भंडारण की व्यवस्था करना बिस्कोमान का मुख्य कार्य है। विगत कुछ वर्षों से अत्यधिक स्थापना व्यय एवं व्यवसायिक घाटे के कारण बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गयी है। बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रत्यनशील है तथा इस संस्था द्वारा भी व्यवसाय विकास हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। बिस्कोमान के पास राज्य के विभिन्न जिलों मे लगभग 2. 56 लाख मे॰टन की भंडारण क्षमता भी सृजित है जिसमें से 1.33 लाख मे॰टन किराया पर है। इसके 98 जीर्ण–शीर्ण गोदामों की मरम्मति हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् वर्ष 2010–11 में 149.00 लाख रू॰ उपलब्ध कराया गया है। बिस्कोमान टावर के सत्रहवीं मंजिल पर संचालित **"घूमता रेस्तराँ"** पूरे एशिया महादेश में अपने प्रकार का एक अनूठा रेस्तरां है।

बिस्कोमान के विगत तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(रू॰ लाख में)

क्रमांक	विवरणी	2009–10	2010–11	2011–12 (दिसम्बर 11)
1	धान/गेंहू अधिप्राप्ति से आय	434.29	2222.72	282.40
2	उर्वरक व्यवसाय से प्राप्त आय	—	1.55	—
3	बीज व्यवसाय से प्राप्त आय	1.38	2.63	—
4	गोदाम किराया से प्राप्त आय	103.00	121.00	103.00
5	बिस्कोमान भवन के किराया से प्राप्त आय	195.00	245.00	287.00

इसके अतिरिक्त तिलरथ (बेगूसराय) दानेदार उर्वरक मिश्रित कारखाना को लिज पर देने से 12.88 लाख रू॰, फुलवारीशरीफ ब्रेड फैक्ट्री से 3.28 लाख एवं कांटी पशु आहार कारखाना को लिज पर देने से 3.64 लाख रू॰ की आय प्रति वर्ष हो रही है।

(ii.) बिहार स्टेट हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि॰

सहकारिता प्रक्षेत्र में शहरी जनसमुदाय को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस संघ का गठन 1969 में किया गया है। यह संस्था अपने से सम्बद्ध प्राथमिक गृह निर्माण सहयोग समितियों के सदस्यों एवं व्यक्तिगत सदस्यों को गृह निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराती रही है। इस संस्था का निबंधन संख्या 3/1969 है। इस संस्था से 1333 प्राथमिक गृह निर्माण सहयोग समितियाँ सम्बद्ध हैं, जिसमें से 697 समितियों को ऋण दिया गया हैं। वितरित ऋण से 15054 मकान निर्मित किये गये हैं। इस संघ को ललित भवन एवं इन्दिरा पैलेस से प्रति माह किराया के रूप में 5.00 लाख रू॰ की आय होती है। इस संघ का सावधिक जमा 31.12.2011 तक 543.86 लाख रू॰ है। वर्ष 2010–11 में कुल मांग 10602.01 लाख के विरूद्ध वसूली 416.87 लाख रू॰ एवं वर्ष 2011–12 में कुल मांग 10268.94 लाख रू॰ के विरूद्ध 31.12.2011 तक वसूली 1548.71

लाख रू॰ की गयी है। इस संघ का वर्ष 2008–09 से वर्ष 2010–11 तक का वैधानिक अंकेक्षण सनदी लेखाकार द्वारा किया जा रहा है।

संघ की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है

(रू॰लाख में)

क्रमांक	विवरणी	2009–10	2010–11	2011–12 (दिसम्बर 11)
1	अधिकृत हिस्सा पूँजी	5000.00	5000.00	5000.00
2	कुल हिस्सा पूँजी	848.15	841.16	831.72
3	कुल हिस्सा पूँजी में राज्य सरकार का अंशदान	668.02	668.02	668.02
4	वित्तीय संस्थाओं से दिनांक 31.12.2011 तक प्राप्त ऋण			
	(क) भारतीय जीवन बीमा निगम	8200.00	8200.00	8200.00
	(ख) हुडको से राज्य सरकार की गारंटी एवं अन्य ऋण	2045.22	2045.22	2045.22
	(ग) राज्य सरकार द्वारा हुडको से गारंटी के विरूद्ध दी गयी राशि	1671.04	1671.04	1671.04
	(घ) अन्य ऋण	200.00	200.00	200.00
	कुल –	12116.26	12116.26	12116.26
5	वित्तीय संस्थाओं को कुल वापस की गयी राशि (2011–12 तक)			
	(क) भारतीय जीवन बीमा निगम	14916.96	14916.96	14916.96
	(ख) हुडको से राज्य सरकार की गारंटी एवं ऋण	3518.75	3518.75	3518.75
	(ग) राज्य सरकार द्वारा हुडको से गारंटी के विरूद्ध दी गयी ऋण राशि	168.56	168.56	464.56
	(घ) अन्य ऋण	189.00	189.00	189.00
	(ङ) कुल –	18793.27	18793.27	19089.27
6	विभिन्न संस्थाओं का कुल बकाया ऋण			
	(क) भारतीय जीवन बीमा निगम	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) हुडको से राज्य सरकार की गारंटी एवं अन्य ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) राज्य सरकार द्वारा हुडको से गारंटी के विरूद्ध दी गयी ऋण राशि	1502.48	1502.48	1206.48
	(घ) अन्य ऋण	56.00	56.00	56.00
	कुल –	1558.48	15.58.48	1262.48

(iii.) बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰

सहकारिता प्रक्षेत्र मे बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰ सबसे पुरानी राज्यस्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था है। इस संघ का निबंधन वर्ष 1918 में हुआ है। यह राज्य के सभी सहकारी समितियों की एक शीर्ष संस्था है, क्योंकि राज्य के सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय तथा प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियाँ अनिवार्य रूप से इस संघ के सदस्य हैं। इस संस्था का मुख्य कार्य सहकारी शिक्षा का प्रचार–प्रसार, सहकारी सम्मेलन, सहकारिता सप्ताह का आयोजन एवं सहकारी सेमिनार आयोजित करना है। इस संस्था द्वारा मासिक प्रत्रिका 'गाँव' का प्रकाशन भी किया जाता रहा है। यह संघ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, समिति के कार्यकारिणी सदस्यों एवं आम सदस्यों को शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी शिक्षा की जानकारी प्रदान करती है। साथ ही साथ सहकारी प्रक्षेत्रों में चलायी जा रही योजनाओं/परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित भी करती है। इस संस्था की आय का मुख्य श्रोत अपने सदस्य समितियों से वसूल की गयी लेवी है। इसके अतिरिक्त फेडरेशन हॉल, गेस्ट रूम आदि के आरक्षण से प्राप्त होने वाली राशि को भी आय का श्रोत बनाया गया है। पूर्व में इसे राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान

की जाती थी, परन्तु विगत कई वर्षों से कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है। स्टाफ की कमी के कारण लेवी की वसूली भी नहीं हो पाती है। वर्त्तमान में इस संघ का दैनिक कार्य फेडरेशन हॉल एवं गेस्ट रूम के आरक्षण से प्राप्त आय द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

(iv.) केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार

केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन लगभग सभी पुराने अनुमंडलों में है। उपभोक्ता प्रक्षेत्र में यह केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति के रूप में निबंधित हैं। बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की जर्जर वित्तीय स्थिति का कुप्रभाव स्पष्ट रूप से केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार पर भी परिलक्षित होता है। अधिकांश सहकारी उपभोक्ता भंडार मृतप्राय हो गये हैं।

केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार के विगत चार वर्षों के कार्यकलाप एवं वित्तीय स्थिति निम्नवत् है –

(रू॰ लाख में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूँजी	कार्यशील पूँजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2008—09	61	27420	148.31	217.16	147.51
2009—10	61	27430	148.32	215.48	140.41
2010—11	61	27495	148.33	214.01	132.36
2011—12	61	27205	146.34	213.11	130.42

(v.) प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता प्रक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है। इसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश सहकारी उपभोक्ता भंडार लगभग निष्क्रिय हैं। कुछ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार जनवितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार का विगत चार वर्षों का कार्यकलाप निम्नवत हैं –

(रू॰ लाख में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूँजी	कार्यशील पूँजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2008—09	1813	104617	41.57	141.37	122.38
2009—10	1813	104625	41.57	139.72	120.48
2010—11	1813	104678	41.58	138.75	116.54
2011—12	1813	104692	51.58	136.12	110.12

(vi.) व्यापार मंडल

व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ प्रखंड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में काम आने वाली सभी वस्तुओं यथा खाद, बीज, कींटनाशक दवा आदि का क्रय—विक्रय तथा कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओ का पणन है। व्यापार मंडल राज्य स्तर पर गठित पणन शीर्ष सहकारी समिति (बिस्कोमान) से सम्बद्ध है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) व्यापार मंडल के

सदस्य होते हैं। बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति जर्जर होने का कुप्रभाव व्यापार मंडल पर भी पड़ा है। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों के पुनर्गठन के फलस्वरूप नवसृजित प्रखंडों में भी व्यापार मंडल का गठन किया गया है। अभी राज्य में कुल 521 व्यापार मंडल गठित हैं।

विगत चार वर्षों में व्यापार मंडल की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है –

(रू॰ लाख में)

वर्ष	व्यापार मंडल की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूँजी	कार्यशील पूँजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2008–09	391	159960	897.08	2054.12	2125.40
2009–10	391	160130	897.31	2054.32	2032.18
2010–11	391	160135	897.32	2055.48	1982.18
2011–12	521	161542	897.48	2056.12	1812.12

8. बिहार राज्य भंडार निगम

बिहार राज्य भंडार निगम "Central Warehousing Corporation Act, 1962" के तहत् गठित ग्रामीण एवं शहरी भंडारण व्यवसाय से सम्बन्धित संस्था है। सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य भंडार निगम को अधिसूचना संख्या 3240 दिनांक 12.12.1996 के द्वारा राज्य भंडारण एजेन्सी के रूप में अधिसूचित किया गया है। निगम की अधिकृत हिस्सा पूंजी में बिहार सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम का अंशदान 50–50 प्रतिशत है। निदेशक पर्षद में भी इसी अनुपात मे राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम के द्वारा निदेशक मनोनीत हैं।

निगम का मुख्य कार्य कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं अन्य संस्थाओं की सामग्रियों यथा खाद्यान्न, खाद आदि का भंडारण है। निगम के आय का मुख्य श्रोत अपने गोदामों से प्राप्त भंडारण शुल्क एवं परिवहन तथा हाथालन शुल्क हैं। निगम कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के भंडारण के साथ–साथ कृषि उत्पादित वस्तुओं के भंडारण हेतु कृषकों को प्रशिक्षित भी करती हैं। निगम का अधिकृत हिस्सा पूंजी 2.00 करोड़ रू० था जिसे खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध कर 10.00 करोड़ रू० उत्क्रमित कराया गया है। निगम द्वारा गोदामों का अर्जन एवं गोदामों का निर्माण कार्य कराना तथा राज्य में संचयन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है।

निगम को सहकारिता विभाग द्वारा राज्य योजना से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन हेतु क्रमशः 1929.30 एवं 374.00 लाख रू० उपलब्ध कराया गया है जिससे कुल 40 हजार मे०टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया गया है। बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा अपने कुल भंडारण क्षमता का शतप्रतिशत उपभोग किया जा रहा है।

2011–12 में भंडारण क्षमता निम्न प्रकार है :–

- कुल भंडार गृहों की संख्या– 30
- स्वनिर्मित्त भंडारण क्षमता 01.80 लाख मे०टन
- किराये पर भंडारण क्षमता 0.70 लाख मे०टन
- कुल भंडारण क्षमता 02.50 लाख मे०टन
- व्यापार आभोग 02.39 लाख मे०टन
- उपभोग का प्रतिशत 95 प्रतिशत

बिहार राज्य भंडार निगम का भौतिक एवं वित्तीय कार्यकलाप निम्नवत् है :–

भौतिक उपलब्धि

(रू०लाख में)

क्र०	वित्तीय वर्ष	भंडारण क्षमता (मे०टन में)	आभोग (मे०टन में)	आभोग का प्रतिशत	सकल आय	लाभ
1	2009–10	32.76	32.76	100	5890.95	239.63
2	2010–11	33.57	35.58	106	7010.00	326.25
3	2011–12	20.58	19.72	95.77	5482.49	244.68

वित्तीय उपलब्धि

(रू. लाख में)

क्रमांक	विवरणी	2009–10	2010–11	2011–12
1	अधिकृत हिस्सा पूंजी	1000.00	1000.00	1000.00
2	प्रदत्त हिस्सा पूंजी			
	(क)केन्द्रीय भंडार निगम	321.00	321.00	321.00
	(ख) राज्य सरकार	321.00	321.00	321.00
	(ग) कुल	642.00	642.00	642.00
3	व्यवसाय से कुल आय	5890.95	7010.00	5482.49
4	शुद्ध लाभ	239.63	326.25	244.68
5	बैंक ऋण	286.84	0.00	0.00

निगम का भंडारण शुल्क निम्नांकित हैं :–

खाद्यान्न	रू. 49.20 प्रति टन प्रति माह
उर्वरक	रू. 29.00 प्रति टन प्रति माह
क्षेत्रफल दर	रू. 07.90 प्रति वर्गफीट प्रति माह
सहकरिता संस्थान/समिति	10% का छुट
किसानों के उपज भंडारण	30% का छुट
परिवहन/हाथालन का एकमुश्त दर	151/– प्रति टन, 15% पर्यवेक्षण शुल्क

निगम में मुख्य जमाकर्त्ता

इफको, कृभको, नेशनल फर्टिलाईजर कम्पनी लि., टाटा केमिकल्स लि., आर.सी.एफ.लि., पी.पी.एल., ब्रह्मपुत्रा भैली फर्टिलाईजर, पुस्तक निगम, बी.एस.एन.एल., शिक्षा परियोजना, भारतीय खाद्य निगम, व्यापारी, किसान आदि।

परिशिष्ट – I

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आंदोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय, यथा राज्य स्तरीय (एपेक्स) केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख एवं गैर साख सहकारी समितियाँ का गठन शहरी क्षेत्र से लेकर सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों तक है।
- कृषि साख की सुविधा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) गठित है।
- कृषि उत्पाद एवं भंडारण के निमित्त पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं को सुलभ वितरण हेतु उपभोक्ता भंडार गठित है।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण से दुग्ध उत्पादक, कुक्कुट पालन तथा श्रमिकों के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ एवं रोजगारपूरक चर्मकार, बुनकर, औद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि सहकारी समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी अर्द्धसरकारी एवं विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों में बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित है।
- बुनकरों के हितार्थ बुनकर सहयोग समितियाँ गठित है तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर एक '**धुरद**' सहकारी शीर्ष संस्थान गठित की गयी है।

परिशिष्ट – II

राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या :–

1. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)	8463
2. व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ	521
3. सहकारी उपभोक्ता भंडार (केन्द्रीय+प्राथमिक)	1874
4. बचत एवं साख सहकारी समितियाँ	327
5. मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ	379
6. गृह निर्माण सहयोग समितियाँ	2741
7. औद्योगिक सहयोग समितियाँ	2647
8. विशेष प्रकार की सहकारी समितियाँ	393
9. कुक्कुट पालन सहयोग समितियाँ	237
10. शीतभंडार सहकारी समितियाँ	50
11. श्रमिक सहकारी समितियाँ	4577
12. ग्रामोदय सहयोग समितियाँ	844
13. महिला विकास सहयोग समितियाँ	430
14. बुनकर सहयोग समितियाँ	1089
15. फल सब्जी उत्पादक सहयोग समितियाँ	342
16. तेल उत्पादक सहयोग समितियाँ	474
17. दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियाँ	1503
18. ताड़ गुड़ उत्पादक सहयोग समितियाँ	76
19 सिंचाई सहयोग समितियाँ	557
20. संयुक्त कृषि सहयोग समितियाँ	406
21. नाव यातायात सहयोग समितियाँ	89
22. चर्मकार सहयोग समितियाँ	187
23. परिवहन सहयोग समितियाँ	172
24. सर्वोदय सहयोग समितियाँ	54
25. सभी प्रकार के स्वावलम्बी सहयोग समितियाँ	7887

(नोट :– पैक्स, व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी स॰स॰ को छोड़कर अन्य प्रकार की कुछ समितियाँ मृतप्राय हैं, जिसके परिसमापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।)

परिशिष्ट – III

विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरूप है जिसके अन्तर्गत सचिवालय एवं निदेशालय क्रमशः सचिव/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अन्तर्गत पृथक–पृथक कार्यरत हैं।

निम्नांकित चार्ट से संगठनात्मक स्वरूप परिलक्षित होगा :–

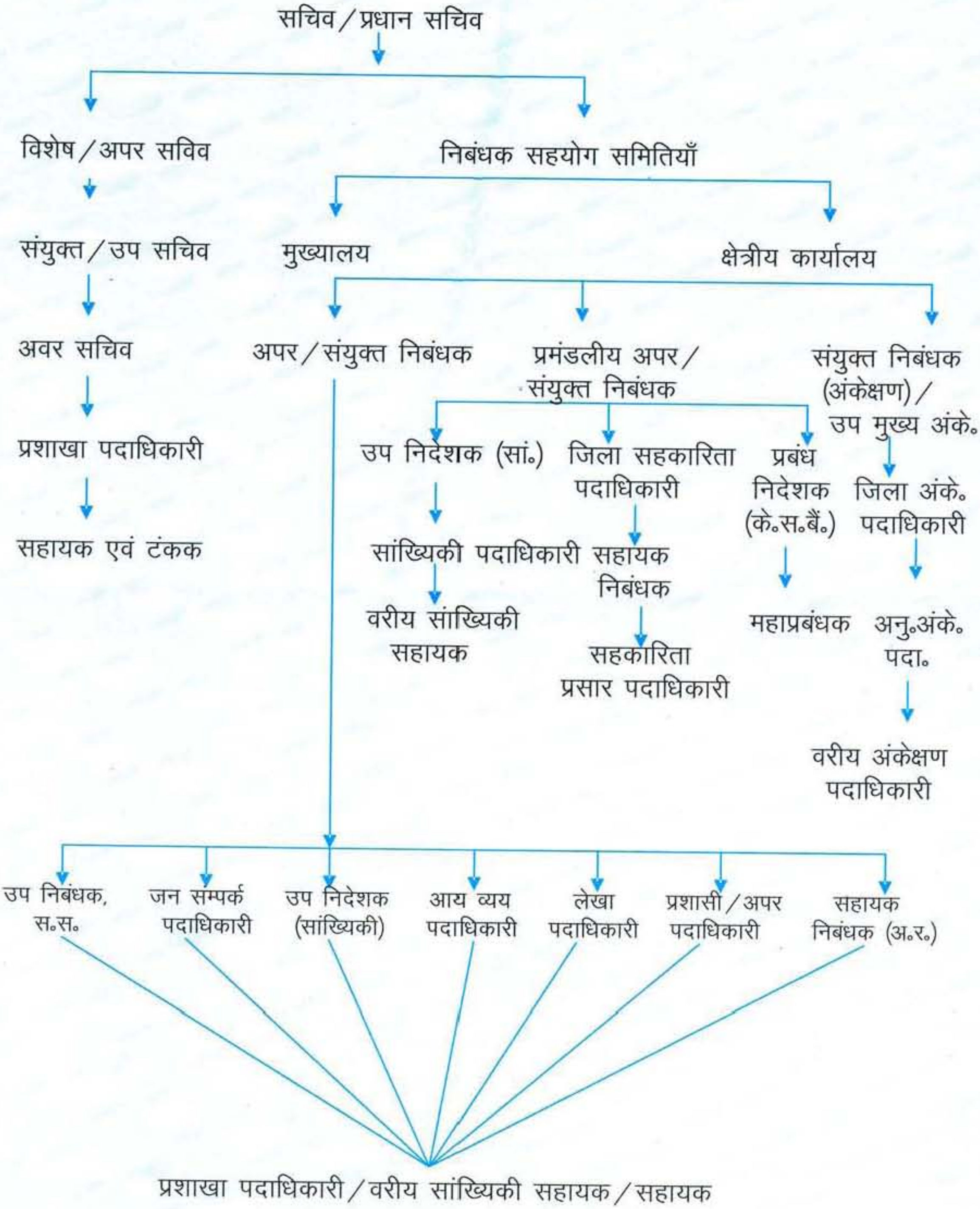

परिशिष्ट – IV

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित है

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1	2	3	4	5
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	1. मुजफ्फरपुर	1. मुजफ्फरपुर पूर्वी	1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण) सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	1. मुजफ्फरपुर
		2.मुजफ्फरपुर पश्चिमी		
	2. वैशाली	3. हाजीपुर		2.. वैशाली
	3. सीतामढ़ी	4. सीतामढ़ी		3. सीतामढ़ी
		5. पुपरी		
	4.. शिवहर	6. शिवहर		
	5. मोतिहारी	7. मोतिहारी		4. मोतिहारी
		8. सिकरहना		
	6. बेतिया	9. बेतिया		5. बेतिया
		10 बगहा		
2. संयुक्त निंबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना।	7. पटना	11. पटना सदर	2. संयुक्त निंबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना।	6. पटना
		12. बाढ़		
		13. पटनासिटी		
		14. दानापुर		
		15. मसोढ़ी		
	8. नालन्दा	16. बिहारशरीफ		7. नालन्दा
		17. हिलसा		
	9. भोजपुर	18. आरा		8. भोजपुर (आरा)
	10. बक्सर	19. बक्सर		
		20. डुमराँव		
	11. रोहतास	21. सासाराम		9. रोहतास
		22. बिक्रमगंज		
	12. कैमूर	23. कैमूर		
3. संयुक्त निंबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।	13. भागलपुर	24. भागलपुर	3. संयुक्त निंबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।	10. भागलपुर
		25. नौगछिया		
	14. बांका	26. बोंका		
	15. मुगेर	27. मुंगेर		11. मुंगेर
	16. जमुई	28. जमुई		
	17. शेखपुरा	29. शेखपुरा		
	18. लक्खीसराय	30. लक्खीसारय		
	19. बेगूसराय	31. बेगूसराय		12. बेगूसराय
	20. खगड़िया	32. खगड़िया		13. खगड़िया
4. संयुक्त निंबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।	21. दरभंगा	33. दरभंगा	4. संयुक्त निंबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।	14. दरभंगा
		34. बेनीपुर		
	22. मधुबनी	35. मधुबनी		15. मधुबनी
		36. झंझारपुर		
		37. बेनीपट्टी		
	23. समस्तीपुर	38. समस्तीपुर		16. समस्तीपुर
		39. दलसिंह सराय		
		40. रोसड़ा		
		41. पटोरी		

5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, सारण।	24. छपरा	42. छपरा	5. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, सारण।	17. छपरा
		43. सोनपुर		
	25. सिवान	44. सिवान		18. सिवान
	26. गोपालगंज	45. गोपालगंज		19. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया।	27. गया	46. गया	6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया।	20. गया
		47. शेरघाटी		
	28. जहानाबाद	48. जहानाबाद		
	29. अरबल	49. अरबल		
	30. औरंगाबाद	50. औरंगाबाद		21. औरंगाबाद
	31. नवादा	51. नवादा		22. नवादा
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	32. मधेपुरा	52. मधेपुरा	7. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, कोशी एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा।	
		53. उदाकिशनगंज		
	33. सहरसा	54. सहरसा		23. सहरसा
		55. वीरपुर		
		56. त्रिवेणीगंज		
	34. सुपौल	57. सुपौल		
	35. पूर्णियाँ	58. पूर्णियाँ		24. पूर्णियाँ
	36. किशनगंज	59. किशनगंज		
	37. अररिया	60. अररिया		
	38. कटिहार	61. कटिहार		25. कटिहार

इसके अतिरिक्त बिस्कोमान, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, बिहार राज्य हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, पटना तथा छपरा, गया, पटना एवं सहरसा में उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय भी हैं।

****

सहकारिता - किसानों के लिए अहम्

- महिलाओं के लिये बचत
- युवाओं के लिये नया अवसर
- गरीबी उन्नमूलन का साधन
- सामाजिक न्याय का जरिया
- आर्थिक विकास का सेतु
- सभी का योगदान
- नये युग का आगाज
- बिहार के नव निर्माण का हेतु
- समावेशी विकास का मूलमंत्र
- सबको समान अवसर
- सर्वजन विकास का नींव

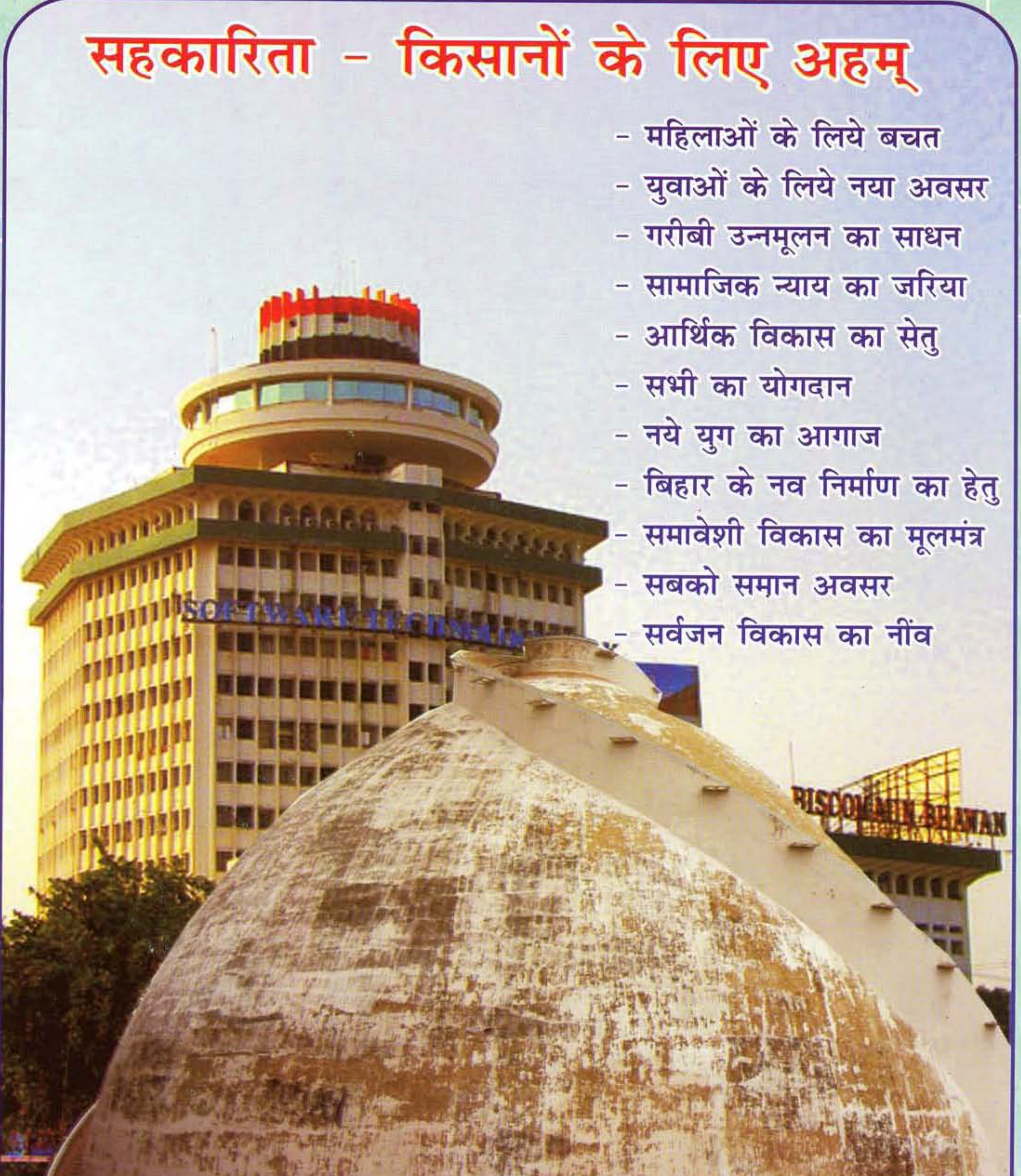

पैक्स - किसान सशक्तिकरण, वृहद ग्रामीण विकास का शस्त्र

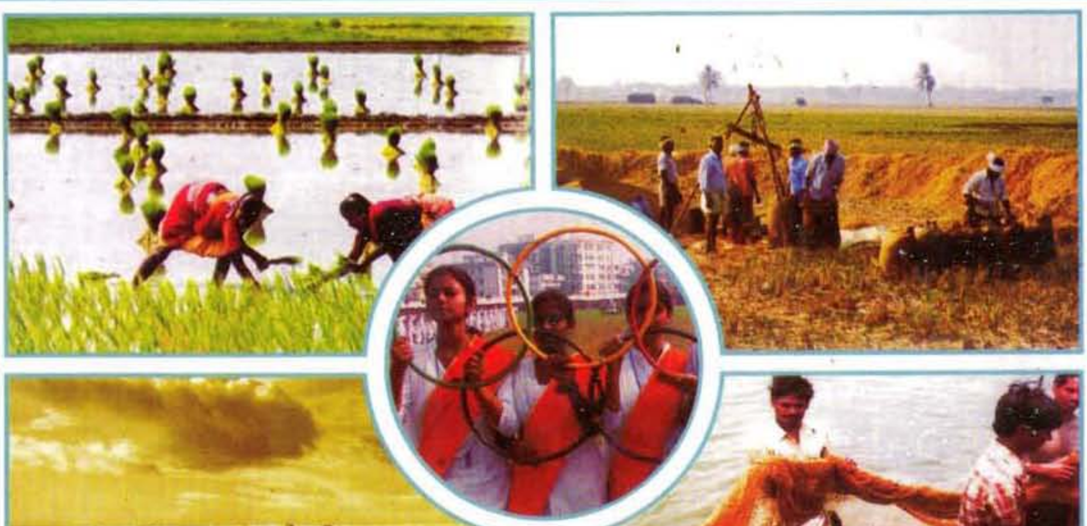

हमारा बिहार
हमारा सहकारिता